

बजट 2014-2015

वित्त मंत्री

अरुण जेटली

का

भाषण

10 जुलाई, 2014

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

2. भारत के लोगों ने निर्णायक रूप से परिवर्तन के लिए वोट किया है। यह निर्णय लोगों का यथा स्थिति के प्रति गुस्सा दर्शाता है। भारत निस्संकोच रूप से विकास करना चाहता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति स्वयं को गरीबी के शाप से मुक्त कराने के इच्छुक हैं। जिन्हें जटिल चुनौतियों से उभरने का मौका मिल गया, वे आकांक्षायुक्त हो गए हैं। वे, अब, नव मध्य वर्ग का हिस्सा होना चाहते हैं। उनकी अगली पीढ़ी समाज द्वारा दिए जाने वाले अवसर का फायदा उठाने के लिए उत्सुक है। निर्णय लेने में धीमेपन से उपलब्ध अवसर हाथ से निकल जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दो वर्ष पांच प्रतिशत से कम हुई वृद्धि से यह चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। हमने विगत दो वर्ष में खाद्य स्फीति में दो अंकीय वृद्धि दरों वाले दिनों की तुलना में, मुद्रास्फीति के अपेक्षाकृत निम्न स्तरों की प्रतिक्षा की है। यह राष्ट्र बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, अवसंरचना के आभाव और उदासीन अभिशासन झेलने के कतई मूड में नहीं है।

3. भारत की अर्थव्यवस्था में आयी गिरावट मुख्यतया अनेक अर्थव्यवस्थाओं की प्रवृत्ति प्रतिबिंबित करती है। वर्ष 2008-09 के संकट के परिणाम के विपरीत, जब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की बहाली मुख्य चिंता थी, अनेक उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में दिखायी दे रही निरंतर गिरावट ने सतत वैश्विक सुधार के लिए संकट खड़ा कर दिया है। सौभाग्य से, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे लक्षण दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2012 और 2013 में देखी गए संकुचन के पश्चात, यूरो क्षेत्र के धनात्मक वृद्धि अंकित करने की संभावना के चलते 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जबकि 2013 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि, अपरंपरागत मौद्रिक नीतिगत स्थिति और वैश्विक वित्तीय दशाओं हेतु अनुवर्ती विविधा के चलते अमरीकी अर्थव्यवस्था का निष्पादन आगामी वर्षों में वैश्विक

समुत्थान के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जिनसे जुझते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी कोई युक्ति निकालनी होगी।

4. वित्त मंत्री होने के नाते, मैं ऐसी नीतिगत व्यवस्था प्रारंभ करने के प्रति कर्तव्यबद्ध हूँ जो उच्च विकास, निम्न मुद्रास्फीति, वैश्विक क्षेत्र के संतुलन का सतत स्तर और विवेकपूर्ण नीतिगत स्थिति के वांछित वृहत् आर्थिक परिणाम दे सके। यह बजट इस बारे में सर्वाधिक विशद् कार्य योजना है। इस एनडीए सरकार का पहला बजट, मैं इस महान सदन के समक्ष रख रहा हूँ। इसमें मेरा लक्ष्य उस दिशा में व्यापक नीतिगत संकेतक निर्धारित करना है जिस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। जो उपाय मैं इस बजट में घोषित करूंगा वे मुद्रास्फीति के निम्न स्तर, निम्न राजकोषीय घाटे और नियंत्रणीय चालू खाता घाटे सहित वृहद आर्थिक स्थायित्व के साथ-साथ अगले 3-4 वर्षों के भीतर 7-8 प्रतिशत की सतत वृद्धि बनाए रखने की तरफ चलने की शुरुआत भर हैं। अतएव यह आशा करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि इस सरकार के बनने के पैंतालिस दिनों के भीतर प्रस्तुत प्रथम बजट में सब कुछ किया जा सकता है या सब कुछ होना ही चाहिए।

5. जब उच्च वृद्धि अनिवार्य है, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि इस देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। यह गरीब ही है जो सबसे ज्यादा कष्ट झेलता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गरीबी-रोधी कार्यक्रम अच्छी तरह लक्षित हों। लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सरकार द्वारा पालन की जा रही विकास कार्य योजना में और "सबका साथ सबका विकास" के इसके अधिदेश में दिखाई देगी। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमने बिल्कुल सही ढंग से इस चुनौती को स्वीकार किया है। हम जीवंत और मजबूत भारत के सृजन में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

6. विद्यमान आर्थिक परिस्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रस्तुत करती है। यह हम सबके द्वारा कोई सचेत विकल्प अपनाने की मांग करती है। क्या हम इस निष्क्रियता को ऐसे ही चलने देंगे और असहाय होकर देखते रहेंगे? क्या हम अपनी दुविधा के चलते अपने भविष्य को ऐसे ही पीड़ित होने देंगे? क्या हम मात्र लोकप्रियता अथवा बेकार व्यय के शिकार होते रहेंगे? मेरे लिए प्रतिक्रिया और उपचार दोनों स्पष्ट हैं। आज मेरे सामने बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि हमें विकास की जरूरतों के लिए समुचित संसाधन जुटाने हेतु, खासकर विनिर्माण और अवसंरचना में, विकास सृजित करने की जरूरत है। दूसरी तरफ, यह कार्य सरल है यदि हम यह सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि हम अपने साधनों से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हमें राजकोषीय विवेक लागू करने की जरूरत है। इससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और अनुसाशन का मार्ग प्रशस्त होगा। अंतर-पीढ़ीगत साम्यता के महत्व के कारण राजकोषीय विवेक मेरे लिए सर्वोच्च महत्व का है। हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अपने पीछे ऋण की बपौती नहीं छोड़ सकते। हम आज ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते जो बाद की तारीख में कराधान द्वारा वित्तपोषित किया जाए। अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान के लिए अधिक संसाधन सृजित करने की तत्काल जरूरत है। इसके लिए, कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करना होगा और कर-भिन्न राजस्व बढ़ाना होगा। हमें याद रखना होगा कि 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत से राजकोषीय घाटे में 2012-13 में 4.9 प्रतिशत और 2013-14 में 4.5 प्रतिशत की गिरावट अधिक राजस्व जुटाकर नहीं बल्कि मुख्यतया व्यय में कटौती करके प्राप्त की गई थी। यद्यपि, वैदेशिक क्षेत्र में,

2012-13 में 4.7 प्रतिशत की तुलना में, सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत के चालू खाता घाटे के चलते वर्ष के अंत में स्थिति पलटी देखी गई। यह मुख्यतया अनावश्यक आयात पर प्रतिबंध लगाकर और समग्र मांग में कमी करके, प्राप्त की गई है। आगे चलकर हमें निरंतर चालू खाता घाटे पर नजर रखनी होगी।

7. मेरे पूर्ववर्ती ने चालू वर्ष में राजस्व घाटा कम करके सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत लाने का बड़ा कठिन कार्य निश्चित किया था। यह विचार करते हुए कि निम्न सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के दो वर्ष, लगभग स्थिर औद्योगिक वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में मामूली वृद्धि, भारी सब्सिडी भार और उत्साहहीन कर उत्प्लावकता से राजकोषीय घाटे का 4.1 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना वास्तव में अत्यंत मुश्किल है। यह बिल्कुल मुश्किल प्रतीत होता है परन्तु मैंने इस लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है। कोई व्यक्ति तभी असफल होता है जब वह प्रयास करना छोड़ देता है। राजकोषीय घाटे का मेरा रोड मैप है 2015-16 में राजकोषीय घाटा 3.6 प्रतिशत और 2016-17 में 3 प्रतिशत पर लाना। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि इराक संकट तेल की कीमतों पर प्रभाव डाल रहा है और मध्यपूर्व में स्थिति निरंतर अस्थिर बनी हुई है। इस वर्ष मानसून ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मुद्रास्फीति जितने स्वीकार्य स्तरों पर होनी चाहिए उससे उच्च स्तरों पर बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक में हाल ही में क्रमिक रूप से नरमी आई है। यह 2012-13 में 7.35% के उच्च स्तर पर थी जो कम होकर 2013-14 में 5.98% पर आ गई है। हम अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं। हमें काले धन की समस्या का भी पूर्ण समाधान निकालना है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है। इन प्रतिकूल स्थितियों का सामना करते हुए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, परन्तु हमें आर्थिक कार्यकलाप बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कठोर उपाय करने होंगे। ये उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की भावना को पुनर्जीवित करने के हमारे प्रयास की शुरुआत भर हैं। वे दिशा-सूचक हैं।

व्यय प्रबंध आयोग

8. हमारी सरकार "न्यूनतम शासन अधिकतम अभिशासन" के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, समय आ गया है कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए, सरकारी व्यय की आवंटनकारी और प्रचालनात्मक दक्षताओं की समीक्षा की जाए। सरकार व्यय प्रबंध आयोग का गठन करेगी। यह सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा। यह आयोग इसी वर्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। मैं, खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडियों सहित सब्सिडी व्यवस्था की समीक्षा करने और उपेक्षित, गरीबों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों को पूरी सुरक्षा देते हुए, इसे अधिक लक्ष्यपरक बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। एक नई यूरिया नीति भी बनाई जाएगी।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

9. क्या वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए अब बातचीत समाप्त हो जानी चाहिए। हमने विगत कई वर्षों में इस मुद्दे पर चर्चा की है। कुछ राज्य अपने कराधान क्षेत्राधिकार के समर्पण से

डरे हुए हैं और अन्य पर्याप्त क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं। मैंने इस विषय में राज्यों से अलग-अलग और सामूहिक रूप से चर्चा की है। मुझे आशा है कि इस वर्ष कोई समाधान ढूँढ लेंगे और विधायी योजना अनुमोदित करेंगे। इससे वस्तु एवं सेवा कर लागू हो सकेगा। यह केन्द्र और राज्य दोनों के कर प्रशासन को सुप्रवाही बनाने, व्यवसाय में परेशानी से बचाने और उच्च राजस्व संग्रहण के परिणाम देगा। मैं सभी राज्यों को आश्वासन देता हूँ कि सरकार उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी।

कर प्रशासन

10. सरकार के पूर्वव्यापी कराधान का उत्तरदायित्व लेने के शासकीय अधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तथापि, इस शक्ति का प्रयोग अर्थव्यवस्था और समग्र निवेश माहौल पर ऐसे प्रत्येक उपाय के प्रभाव को ध्यान में रखकर अत्यंत सावधानी और विवेक से किया जाना चाहिए। यह सरकार सामान्यतया पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं करेगी जो नई देनदारी सृजित करे। माननीय सदस्यों को पता है कि वित्त अधिनियम, 2012 के जरिए आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए कतिपय पूर्वव्यापी संशोधनों के परिणामस्वरूप, कुछेक मामले विभिन्न न्यायालयों में और अन्य विधायी मंचों पर आए हैं। ये मामले विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं और स्वाभाविक रूप से तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। मैं, इस परिस्थिति में इस महान सदन और पूरे निवेशक समुदाय को यह बताना चाहता हूँ कि हम ऐसी स्थायी और भावी कराधान व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध हैं जो निवेशक अनुकूल और विकास प्रेरक होगी। यह ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अब से अप्रत्यक्ष अंतरणों के संबंध में 2012 के पूर्वव्यापी संशोधनों से उत्पन्न सभी नए मामले मूल्यांकन अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जाएगी। मुझे आशा है कि भारत के भीतर और विदेशों में निवेशक समुदाय हमारी घोषित स्थिति पर विश्वास व्यक्त करेगा और नए जोश से भारत के विकास में भागीदारी करेगा।

अग्रिम नियम और अन्य कर संबंधी उपाय

11. 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कर मांग विभिन्न न्यायालयों व अपीलीय अधिकरणों में विचाराधीन है और मुकदमेबाजी चल रही है। यह इस देश में सभी करदाताओं की गंभीर चिंताओं में एक है। प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी घटाने के लिए, मैं, कतिपय कानूनी और प्रशासनिक बदलाव करने का प्रस्ताव करता हूँ।

12. फिलहाल किसी अनिवासी की कर देनदारी के बारे में अग्रिम नियम अधिकरण से अग्रिम नियम प्राप्त किया जा सकता है यह सुविधा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सिवाय, निवासी करदाताओं को उपलब्ध नहीं है। मैं, परिभाषित सीमा से अधिक आयकर देनदारी के संबंध में प्रस्ताव रखता हूँ। जिससे करदाता अग्रिम नियम प्राप्त कर सकेंगे। मैं, अतिरिक्त पीठों की स्थापना करते

हुए अग्रिम नियम अधिकरण सुदृढीकरण का प्रस्ताव भी करता हूं। मैं, आयकर निपटान आयोग का क्षेत्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि करदाता विवादों के निपटान हेतु इस आयोग से संपर्क कर सकेंगे। यह किसी भी करदाता के लिए जीवन में एक बार अवसर देना जारी रहेगा।

13. मैं प्रशासनिक उपाय के रूप में व्यापार और उद्योग के साथ नियमित आधार पर पारम्परिक संपर्क करने और कर कानूनों में स्पष्टता की जरूरत वाले लोगों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव करता हूँ। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क व सीमाशुल्क बोर्ड दो महीने की अवधि के भीतर कर मुद्दों पर, जहां आवश्यक समझा जाएगा, समुचित स्पष्टीकरण जारी करेंगे।

14. अंतरण मूल्य निर्धारण निवासी और अनिवासी दोनों करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी का बड़ा क्षेत्र है। मैंने अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमों में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया है जिन्हें मैं, अपने भाषण के भाग-ख में बताऊंगा।

15. मुझे विश्वास है कि ये उपाय कर प्रणाली में कर दाताओं का विश्वास बढ़ाने में दूरगामी सिद्ध होंगे और इन से कर कानूनों में निश्चितता और स्पष्टता आएगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

16. एनडीए सरकार की नीति इन क्षेत्रों में चुनिंदा रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना है जहां यह भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहद हितों में सहायक होगी। अनेक क्षेत्रों में एफडीआई संसाधन पूरक है जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने और रोजगार सृजन में सहायक होगी। भारत को आज रोजगार सृजन में बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। विशेषकर हमारे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन आगे बढ़ाने की जरूरत होगी।

17. भारत आज विश्व में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। हमारी घरेलू विनिर्माण क्षमताएं उदीयमान चरण में हैं। हम अपनी रक्षा जरूरतों का बड़ा हिस्सा सीधे विदेशी प्लेयर्स से खरीदते हैं। फिलहाल हम रक्षा विनिर्माण में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देते हैं। विदेशी मुद्रा की संयुक्त सीमा एफआईपीबी मार्ग से पूर्ण भारतीय संबंध और नियंत्रण के चलते, बढ़ाकर 49 प्रतिशत की जा रही है।

18. बीमा क्षेत्र निवेश के लिए तरस रहा है। बीमा क्षेत्र के अनेक संघटकों को विस्तार की जरूरत है। बीमा क्षेत्र में संयुक्त सीमा एफआईपीबी मार्ग से पूर्ण भारतीय प्रबंध और नियंत्रण के चलते 26 प्रतिशत के चालू स्तर से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

19. स्मार्ट शहरों का विकास, जो नव-मध्यम वर्ग को पर्यावास भी उपलब्ध कराएंगे, प्रोत्साहित करने के लिए निर्माण पूरा होने के बाद तीन वर्ष के लाक-इन के चलते एफडीआई के लिए निर्मित क्षेत्र और पूंजी की शर्तों की अपेक्षा क्रमशः 50,000 वर्ग मीटर से घटाकर 20,000 वर्ग मीटर और 10 मिलियन अमरीकी डालर से घटाकर 5 मिलियन अमरीकी डालर की जा रही है।

20. इसे और प्रोत्साहित करने के लिए वे परियोजनाएं जो निम्न लागत वाले सरस्ते मकानों की कुल परियोजना लागत के कम से कम 30 प्रतिशत की वचनबद्धता देती हैं, तीन वर्ष के लाक-इन की शर्त के चलते, उन्हें न्यूनतम निर्मित क्षेत्र और पूंजीकरण अपेक्षाओं से छूट मिलेगी।

21. आज विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई स्वचालित मार्ग पर है। विनिर्माण इकाइयों को बगैर किसी अतिरिक्त अनुमोदन के ई-कामर्स प्लेटफार्मों सहित खुदरा के जरिए अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दी जाएगी।

बैंक पूंजीकरण

22. वित्तीय स्थिरता तीव्र समुत्थान का आधार है। हमारी बैंकिंग प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बेसल-III मानकों के अनुरूप होने के लिए, हमारे बैंकों में 2018 तक 2,40,000 करोड़ रुपये की ईक्विटी के निवेश की आवश्यकता है। इस विशाल पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हमें इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। सरकारी स्वामित्व बनाए रखते हुए इन बैंकों की पूंजी देश के आम नागरिकों को ज्यादातर खुदरा में शेयरों की बिक्री के जरिये जनसाधारण की शेयरधारिता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर जुटाई जाएगी। इस प्रकार, सरकार बहुमत शेयरधारिता को बनाए रखेगी जबकि भारत के नागरिकों को भी इन बैंकों में अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष शेयरधारिता प्राप्त होगी। हम बैंकों को जवाबदेह बनाकर बृहतर स्वायत्तता प्रदान करने के प्रस्ताव की जांच भी करेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का पूंजीगत व्यय

23. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देकर अपनी संरचनात्मक भूमिका अदा करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अच्छे निवेश चक्र का सृजन करने के लिए पूंजीगत निवेश के जरिये कुल 2,47,941 करोड़ रुपये की घनराशि का निवेश चालू वित्त वर्ष में करेंगे।

स्मार्ट शहर

24. चूंकि विकास के प्रतिफल निरंतर बढ़ती हुई लोगों की बड़ी संख्या तक पहुँच रहे हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवासन की गति बढ़ रही है। बेहतर जीवन यापन की आकांक्षा के साथ नव मध्यम वर्ग उभर रहा है। अगर जनसाधारण के इस उप्लाव के लिए नये शहरों का विकास नहीं किया गया तो विद्यमान शहर जल्द ही रहने योग्य नहीं रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का बड़े शहरों के उपनगरों के रूप में "सौ स्मार्ट शहरों" का विकास करने और विद्यमान मध्यम आकार के शहरों का आधुनिकीकरण करने का सपना है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु, मैंने चालू वित्त वर्ष में 7060 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है।

ई-वीजा

25 पर्यटन विश्व भर में वृहद् रोजगार सृजकों में से एक है। विश्व भर में अनेक अर्थव्यवस्थाओं को पर्यटन से सहायता मिली है। भारत में पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए, इलैक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ई-वीजा) की सुविधा आवश्यक अवसंरचना अगले छह माह के भीतर तैयार करके भारत में नौ हवाई-अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इलैक्ट्रॉनिक यात्रा

प्राधिकरण सुविधा वाले देश चरणबद्ध तरीके से अभिचिन्हित किए जायेंगे। आगे चलकर इससे आगमन पर वीजा की सुविधा सहज होगी।

स्थावर सम्पदा निवेश न्यास (आरईआईटीएस) और अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटीएस)

26. स्थावर सम्पदा निवेश न्यासों का कई देशों में निवेश पूलिंग के लिए लिखतों के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इस वर्ष मैं आरईआईटीएस के लिए आवश्यक प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना चाहता हूँ जो कराधान के प्रयोजन से पारदर्शी होंगे। नवोन्मेष के रूप में, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संशोधित आरईआईटीएस के तरह की स्थिति पीपीपी और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उसी प्रकार की कर पारदर्शिता संरचना अवसंरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटीएस) के रूप में भी घोषित की जा रही है। ये संरचनाएं नई इक्विटी उपलब्ध कराते हुए बैंकिंग प्रणाली पर दबाव कम करेंगी। मुझे विश्वास है कि ये दो लिखतें एनआरआई सहित विदेशी और घरेलू स्रोतों से दीर्घावधि वित्त आकर्षित करेंगी।

किसान विकास पत्र

27 किसान विकास पत्र (केवीपी) छोटी बचत-करने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय लिखत थी। इस लिखत में निवेश करने के लिए बैंक-बचतों और गैर-बैंक बचतों वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस लिखत को पुनः शुरू करने की मेरी योजना है।

दक्ष भारत

28 दक्ष भारत नामक राष्ट्रीय बहु-दक्ष कार्यक्रम शुरू करना प्रस्तावित है। यह रोजगार सर्भतता और उद्यमी कौशलों पर बल देकर युवाओं को दक्ष करेगा, यह झलाईगर, बर्दई, मोची, राजमिस्त्री, लौहार, बुनकर आदि परम्परागत धंधों में लगे लोगों के लिए प्रशिक्षण और सहायता भी उपलब्ध कराएगा। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए विभिन्न स्कीमों को केन्द्रीत करना भी प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

29 हमारी अधिकतर कृषि भूमि वर्षा पोषित है और मानसून पर निर्भर है। इसलिए, जोखिम कम करने के लिए आश्वासित सिंचाई की व्यवस्था करने की जरूरत है। सिंचाई पहुँच में सुधार लाने के लिए हम "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। मैं इस प्रयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वच्छ भारत अभियान

30 स्वच्छता की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि केंद्रीय सरकार अपने अर्थोपायों के भीतर संसाधन उपलब्ध करा रही है, फिर भी सम्पूर्ण स्वच्छता का कार्य बिना सभी की सहायता के पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार स्वच्छ भारत अभियान के जरिये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, वर्ष 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता से प्रत्येक परिवार को कवर करना चाहती है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन

31 ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण का रूबन विकास मॉडल है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नगर-विषयक अवसंरचना और संबद्ध सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात उसका सफल उदाहरण रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल हैं, ग्रामीण इलाकों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए शुरू किया जाएगा। सुपुर्दगी की तरजीही विधि वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्कीम निधियों का प्रयोग करके पीपीपी के माध्यम से होगी।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

32 विद्युत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निविष्ट है और सरकार सभी घरों में 24x7 बाधारहित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फीडर पृथक्करण के लिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की वृद्धि करने और उप-सम्प्रेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण के लिए शुरू की जाएगी। मैं इस प्रयोजन के लिए ₹ 500 करोड़ की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। अंतरण मूल्य-निर्धारण विनियमों के उपबन्धों से विखंडित विद्युत संयंत्रों को मुक्त करने का निर्णय भी लिया गया है।

एकता प्रतिमा (स्टेच्यू आफ यूनिटी)

33. गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालतम प्रतिमा के निर्माण का मिशन शुरू किया है। सरदार पटेल देश की एकता के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। एकता प्रतिमा की स्थापना करने की गुजरात सरकार की इस पहल में सहायता करने के लिए, मैं ₹ 200 करोड़ की धनराशि के निर्धारण का प्रस्ताव करता हूँ।

II. आयोजना और बजटीय आबंटन

34. मैं अब बजटीय आबंटनों पर आता हूँ। आबंटनों की घोषणा करते हुए, मैं देश की संघीय संरचना को सुदृढ करने की मेरी सरकार की दृढ प्रतिबद्धता और जनसाधारण के व्यापक हित के लिए राज्य सरकारों के साथ समीपता से कार्य करने के हमारे संकल्प को दोहराना चाहता हूँ।

एससी/एसटी; महिला और बच्चे

35. सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति आयोजना के तहत ₹ 50,548 करोड़ और टीएसपी के अंतर्गत ₹ 32,387 करोड़ प्रस्तावित हैं।

36. अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों को ऋण वर्धन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मैं ₹200 करोड़ की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। जो आईएफसीआई द्वारा स्कीम के जरिये प्रचालनात्मक की जाएगी।

37. ₹ 100 करोड़ के प्रारंभिक आबंटन से जनजातियों के कल्याण के लिए "वन बंधु कल्याण योजना" शुरू की जा रही है।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

38. एनडीए सरकार के अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम के रूप में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीआई) शुरू की गई थी। स्कीम के अंतर्गत कुल 3.16 लाख वार्षिकी-ग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है और निधियां ₹ 6,095 करोड़ बैठती हैं। मैं 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले नागरिकों के हित के लिए 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक की सीमित अवधि हेतु स्कीम को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

39. सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), डाकघर बचत योजनाओं आदि में दावारहित धनराशियों के रूप में एक बड़ी धनराशि होने का अनुमान है। ये अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित निवेशों में से हैं और उनकी मृत्यु पर संबंधित संदाय अनुदेशों के अभाव में दावारहित रहती हैं। कैसे इस धनराशि का प्रयोग वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करने और उनके वित्तीय हितों के लिए किया जा सकता है, इसकी जांच करने और संसतुति देने के लिए समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। समिति अपनी रिपोर्ट इस वर्ष दिसंबर तक प्रस्तुत करेगी।

40. सरकार संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। सरकार ईपी स्कीम के सभी अभिदाता सदस्यों के लिए ₹ 1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित कर रही है और व्यय की पूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 250 करोड़ रुपये का आरंभिक प्रावधान किया है। इसके अलावा, ईपीएस में अभिदान की अनिवार्य पारिश्रमिक सीमा ₹ 6500 से बढ़ाकर ₹ 15000 कर दी गई है और वर्तमान बजट में ₹ 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अभिदाताओं की सुविधा के लिए, ईपीएफओ भविष्य निधि खातों की सुवाह्यता सुगमता हेतु अभिदान करने वाले सदस्यों के लिए "एकरूप लेखा संख्या" शुरू करेगा।

विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण

41. सरकार गरिमा के साथ सशक्त जीवन यापन करने के समान अवसरों का लाभ देकर विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी समाज के सृजन हेतु सभी संभव प्रयास करेगी। मैं समकालीन सहायक यंत्रों और सहायक साधनों को शामिल करके सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम के विस्तार का प्रस्ताव करता हूँ। सार्वभौमिक समावेशी डिजाइन और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों तथा अशक्तता वाले खेलों के लिए केन्द्र की स्थापना भी प्रस्तावित है।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन

42. सरकारी और निजी क्षेत्र की ब्रेल प्रेसों दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल पाठ्य पुस्तकों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। पंद्रह नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना करने और विद्यमान दस ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण करने के लिए चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। सरकार दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए ब्रेल लिपि जैसे चिन्हों वाली मुद्रा का मुद्रण भी करेगी।

महिला एवं बाल विकास

43. महिला सुरक्षा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों द्वारा साझा किया गया चिंता का विषय है। हमें विभिन्न अवधारणाओं की जांच करके ऐसी अवधारणाओं को मालूम करना है जो वैधिकृत हों और तेजी से मापी जा सकें। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा "सेफ्टि ऑफ वूमन ऑन पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट" की प्रायोगिक परीक्षण योजना पर ₹ 50 करोड़ के परिव्यय का व्यय किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर ₹ 150 करोड़ की धनराशि का व्यय भी किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में "क्राईसिस मैनेजमेंट सेंटरों" की स्थापना करना भी प्रस्तावित है। इसका वित्तपोषण निर्भया निधि से किया जाएगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

44. यह बड़े शर्म की बात है कि जब देश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच मुख्य भूमिका के रूप में उभरा है, बालिका के प्रति उदासीनता देश के कई भागों में अभी भी बहुत प्रचण्ड है। इसलिए, मैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह केंद्रीत योजना होगी और जागरूकता सृजन में सहायता करेगी तथा महिलोन्मुखी कल्याणकारी सेवाओं की सुपुर्दगी की कार्यक्षमता में सुधार लाने में भी सहायता करेगी। मैं इसके लिए ₹ 100 करोड़ का प्रस्ताव करता हूँ।

महिलाओं को मुख्य-धारा में लाना

45. सरकार बालिकाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति इस देश के लोगों को भावनात्मक बनाने वाले अभियानों पर ध्यान केंद्रीत करेगी। भावनात्मक बनाने की प्रक्रिया शुरू में ही आरंभ होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में महिलाओं को मुख्य-धारा में लाने के लिए पृथक अध्याय होना चाहिए।

ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

46. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए-1 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण आबादी के आवागमन के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में बेहतर और अधिक ऊर्जावान पीएमजीएसवाई की हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने का समय है। मैं ₹ 14,389 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

मनरेगा

47. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और स्वः-रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, मनरेगा के तहत दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिक उत्पादक, आस्ति सृजन और मूलतया कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से जुड़े कार्य होते हैं।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन

48. आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का उद्देश्य वहनीय आजीविका विकल्पों के जरिये ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का है। इस मिशन के तहत, महिला एसएचजी को 150 जिलों में 4 प्रतिशत और अन्य सभी जिलों में 7 प्रतिशत अविलंब अदायगी पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। मैं महिला एसएचजी के लिए बैंक ऋण के प्रावधान का और 100 जिलों में 4 प्रतिशत पर विस्तार करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं स्थानीय उद्यमिता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए "स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम" की स्थापना करना भी प्रस्तावित करता हूँ। मैं इसके लिए ₹ 100 करोड़ की आरंभिक राशि प्रदान कर रहा हूँ।

ग्रामीण आवास

49. ग्रामीण आवास योजना ने ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) के जरिये ऋण लेने वाली ग्रामीण आबादी के बड़े भाग को लाभान्वित किया है। तदनुसार, मैं देश में ग्रामीण आवास को फैलाने तथा उसके समर्थन के लिए सहायता जारी रखने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए वर्ष 2014-15 हेतु ₹8,000 करोड़ का आवंटन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

जल संभर विकास

50. देश में जल संभर विकास को ज्यादा संवेग प्रदान करने के लिए, मैं चालू वित्त वर्ष में ₹2142 करोड़ के प्रारंभिक परियोजना के साथ "नीरांचल" नामक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पंचायती राज

51. पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने के लिए तथा पंचायतों/ग्राम सभाओं के क्षमता निर्माण के लिए 27 राज्यों के 272 पिछड़े जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यान्वित की जा रही है। जिले के अंदर असमानताओं को दूर करने के लिए बीआरजीएफ का पुनर्गठन करना प्रस्तावित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों में पिछड़ी तहसील यूनिटें पर्याप्त सहायता प्राप्त करती हैं।

सुरक्षित पेयजल

52. हमारे बहुत से पेयजल स्रोतों में असंसाधित गंदे पानी, औद्योगिक स्त्रावों तथा कीटनाशकों और उर्वरकों के निक्षालन के कारण फ्लूरायड, आर्सेनिक तथा मानव निर्मित संदूषणों जैसी बहुत सी अशुद्धियाँ हैं। अगले 3 वर्षों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए आर्सेनिक, फ्लूरायड, भारी/विषैले पदार्थों, कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित लगभग 20,000 बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ₹3,600 करोड़ चिन्हित करना प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

53. “सबके लिए स्वास्थ्य” की तरफ जाने के लिए दो प्रमुख पहलें अर्थात निशुल्क औषधि सेवा तथा निशुल्क निदान सेवा, प्राथमिकता के आधार पर शुरु की जाएंगी।

54. शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निदान तथा टीबी के मरीजों के इलाज तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिए, एम्स नई दिल्ली तथा मद्रास चिकित्सा कॉलेज, चेन्नई में दो राष्ट्रीय वरिष्ठ व्यक्ति संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उच्च दंत अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक अनुसंधान और रैफरल संस्थान किसी एक विद्यमान दंत संस्था में स्थापित किया जाएगा।

55. यह बड़े संतोष का विषय है कि जोधपुर, भोपाल, पटना, ऋषिकेश, भुवनेश्वर तथा रायपुर स्थित सभी छह नए एम्स, जो पीएमएसएसवाई का हिस्सा है, कार्य कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में विदर्भ तथा उ.प्र. में पूर्वांचल में एम्स जैसे चार और संस्थान स्थापित करने की एक योजना विचाराधीन है। मैं इसके लिए ₹500 करोड़ की राशि अलग से रखने के लिए प्रस्ताव करता हूँ। वर्तमान में 58 सरकारी चिकित्सा कालेज अनुमोदित हो चुके हैं। 12 और सरकारी चिकित्सा कालेज बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, सभी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

56. नई औषधि जांच प्रयोगशालों के सृजन द्वारा तथा 31 विद्यमान राज्य प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाकर राज्य औषधि विनियमकारी और खाद्य विनियमकारी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए पहली बार सरकार केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगी।

57. वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सुधारने तथा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण पर सरकार के ध्यान देने के अनुरूप, पंद्रह आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण आबादी से संबंधित स्थानीय स्वास्थ्य मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे।

शिक्षा

स्कूली शिक्षा

58. प्रारंभिक शिक्षा सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। न्यूनतम स्कूल अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने में अवशिष्ट अंतराल है। सरकार प्रथम चरण में सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने का प्रयास करेगी। एसएसए के लिए ₹28,635 करोड़ की राशि तथा आरएमएसए के लिए ₹4966 करोड़ की राशि वित्तपोषित की जा रही है। ₹30 करोड़ की लागत से एक स्कूल आकलन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। नए प्रशिक्षण संबंधी उपकरण प्रदान करने तथा अध्यापकों को अभिप्रेरित करने के लिए “पंडित मदन मोहन मालवीय नव अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम” शुरु किया जा रहा है। मैं इसके लिए ₹500 करोड़ की प्रारंभिक राशि अलग से रख रहा हूँ।

59. सूचना प्रौद्योगिकी पहुँच का लाभ उठाने के लिए, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए संचार संबद्ध संपर्क तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में वास्तविक कक्षाएं स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उच्च शिक्षा

- 60.** देश को बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के केन्द्रों की जरूरत है जोकि स्तरीय हों। मैं मध्यप्रदेश में मानविकी में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्रप्रदेश और केरल में पाँच और आईआईटी भी स्थापित करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडीशा तथा राजस्थान राज्य में पाँच आईआईएम स्थापित किए जाएंगे। मैं इसके लिए ₹500 करोड़ की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ।
- 61.** सरकार उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा ऋणों को सुसाध्य बनाने हेतु मानदंडों को आसान और सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखती है।

डिजिटल भारत

- 62.** डिजिटल सुविधा “वालों” तथा डिजिटल सुविधा “विहीनों” के बीच अंतर को पाटने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए सर्व भारत कार्यक्रम “डिजिटल भारत” शुरु करना प्रस्तावित है। यह गांव के स्तर पर ब्रॉड बैंड संयोजनता, आईटी समर्थित प्लेटफार्मों के जरिए सेवाओं तक उन्नत पहुँच, सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता तथा निर्यात और उन्नत घरेलू उपलब्धता के लिए आईटी हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के वर्धित देशीय उत्पादन सुनिश्चित करेगा। साफ्टवेयर प्राटेक्ट स्टार्टअप्स का समर्थन करने पर विशेष ध्यान होगा। गाँवों और स्कूलों में सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट तथा प्रौद्योगिकी मिशन, आईटी कौशल में प्रशिक्षण तथा सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए ई-क्रांति तथा अभिशासन योजना भी प्रस्तावित है। मैंने इस प्रयोजन के लिए ₹500 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी है।
- 63.** “सुशासन” के संवर्धन के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा और मैंने इसके लिए ₹100 करोड़ की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

सूचना और प्रसारण

- 64.** सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए अभी तक लगभग 400 अनुमतियां जारी की गई हैं। इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ₹100 करोड़ के आबंटन के साथ एक नई आयोजना स्कीम शुरु की जा रही है। यह योजना लगभग 600 नए तथा विद्यमान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सहायता करेगी।
- 65.** फिल्म तथा टेलिविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलिविजन संस्थान, कोलकाता को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है और एनीमेशन, खेल तथा विशेष प्रभावों में “राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र” स्थापित किया जाएगा।

शहरी विकास

शहरी नवीकरण

- 66.** यह वह समय है जब हमारे शहरों और कस्बों का नवीकरण हो रहा है और ये रहने के बेहतर स्थान बन गये हैं। भौगोलिक तथा आर्थिक दोनों तरह से, आवास और अन्य अवसंरचना को विकसित करते समय, जिसमें स्थानीय भिन्नता हो सकती है, चार मूलभूत गतिविधियों को ऐसे

विकास का आधार होना चाहिए। ये हैं:- सुरक्षित पेय जल का प्रावधान और सीवरेज प्रबंधन, उत्पन्न होने वाले आर्गेनिक फलों और सब्जियों के लिए पुनः चक्रित जल का प्रयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा डिजिटल संयोजनता। यह सरकार की दृष्टि है कि निजी पूंजी तथा विशेषज्ञता को पीपीपी के जरिए काम में लगाते समय कम से कम पांच सौ (500) ऐसी बसावटों को सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अगले वर्षों में अपनी अवसंरचना और सेवाओं को नवीकृत कर सकें।

पूलबद्ध नगर पालिका ऋण दायित्व सुविधा:

67. पूलबद्ध नगर पालिका ऋण दायित्व सुविधा: साझा जोखिम आधार पर शहरी क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के संवर्धन और वित्तपोषण के लिए कई बैंकों की सहभागिता के साथ 2006 में यह सुविधा स्थापित की गई थी। इस सुविधा की वर्तमान समग्र निधि ₹5000 करोड़ है। सरकार का मुख्य ध्यान अच्छी अवसंरचना प्रदान करने के लिए है जिसमें शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट निपटान, सीवरेज उपचार, तथा पेयजल शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, 31 मार्च, 2019 तक पांच वर्षों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ इसे ₹50,000 करोड़ तक बढ़ाना प्रस्तावित है।

शहरी परिवहन

68. शहरी मेट्रो परियोजनाएं बड़े शहरों की भीड़ कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। दो मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए, मेट्रो परियोजनाओं की योजना अब से शुरू हो जानी चाहिए। सरकार पीपीपी मॉड में मेट्रो रेल प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहन देगी जिसमें लाइट रेल सिस्टम शामिल हैं, और जिसकी सहायता अर्थक्षमता अंतराल निधियन के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में, मैं लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹100 करोड़ की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

सभी के लिए आवास

69. हमारी सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन के लिए मैं लोगों, विशेषतः युवा को मकान खरीदने के लिए गृह ऋण पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहूँगा।

70. मैं कम लागत वाले वहनीय आवास संबंधी मिशन की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक में स्थापित किया जाएगा। कम लागत वाले वहनीय आवास के विकास को तेज करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएगी। मैं शहरी गरीब/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हिस्से को वहनीय आवास के लिए सस्ते ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ₹4000 करोड़ रुपए की राशि भी इस वर्ष आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैंने कुछ अन्य प्रोत्साहनों की रूपरेखा पहले ही बता दी है जैसे इस क्षेत्र में एफडीआई का आसान प्रवाह। सरकार उन अन्य सुझावों की जाँच करने के लिए उत्सुक है जो इस क्षेत्र में विकास को तेज कर देंगे।

71. मैं इस कार्यकलाप में अधिक योगदान देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों की सूची में स्लम विकास को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कुपोषण

72. भारत में बिगड़ती हुई कुपोषण की स्थिति को रोकने के लिए मिशन मॉड में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान उपाय पर्याप्त नहीं हैं। विस्तृत विधितंत्र, लागत, समयसीमा और निगरानी लक्ष्यों सहित एक व्यापक कार्यनीति छह महीनों में स्थापित की जाएगी।

अल्पसंख्यक

73. परंपरागत कला और शिल्प के संरक्षण के लिए, जो समृद्ध विरासत है, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु परंपरागत कलाओं में कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए “कला, संसाधन और वस्तुओं में परंपरागत कौशल का उन्नयन” नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।

74. मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए ₹100 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्कूली शिक्षा विभाग को प्रदान की गई है।

III कृषि

75. गतिविधि के रूप में कृषि हमारे स.घ.उ. में लगभग 1/6 का योगदान देती है तथा हमारी जनसंख्या का मुख्य हिस्सा जीविका के लिए इसी पर निर्भर है। बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन प्रदान करने में भारत को अधिकांश रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह चुनौती के रूप में उभरी है। कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक तथा लाभप्रद बनाने के लिए कृषि-प्रौद्योगिकी विकास तथा विद्यमान कृषि-व्यवसाय अवसंरचना के सृजन और आधुनिकीकरण में सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के निवेश बढ़ाए जाने की तत्काल जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा इस क्षेत्र में अनुसंधान में आगे रहा है। तथापि, स्वतंत्रता के बाद, केवल एक ही ऐसा केन्द्र स्थापित किया गया है। सरकार चालू वित्त वर्ष में ₹100 करोड़ की प्रारंभिक राशि से असम और झारखंड में इसी पैटर्न पर दो और उत्कृष्ट संस्थाएं स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त, कृषि-प्रौद्योगिकी अवसंरचना निधि स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ की राशि अलग से रखी जा रही है।

76. आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय तथा तेलंगाना और हरियाणा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए ₹200 करोड़ की प्रारंभिक राशि आवंटित की गई है।

77. मृदा स्वास्थ्य का बिगड़ना चिंता का विषय रहा है और इससे कृषि संसाधनों का उप-इष्टम उपयोग हुआ है। सरकार प्रत्येक किसान को मिशन मॉड में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के लिए योजना शुरु करेगी। मैं इस प्रयोजन के लिए ₹100 करोड़ की राशि तथा पूरे देश में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ₹56 करोड़ की अतिरिक्त राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन के बारे में चिंताएं भी उत्पन्न हो रही हैं जिससे मृदा का स्वरूप बिगड़ा है।

78. जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है जिसका मुकाबला हम सभी को मिलकर करना है गतिविधि के रूप में कृषि जलवायु परिवर्तन को तरंगों के प्रति सर्वाधिक झुकी रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, मैं जलवायु परिवर्तन के लिए “राष्ट्रीय अनुकूलन

निधि' स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। आरंभिक राशि के रूप में, ₹100 करोड़ की राशि निधि में अंतरित की जाएगी।

79. हम कृषि में 4% की वृद्धि बनाए रखने का लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए उच्च उत्पादकता पर ध्यान देते हुए हम प्रौद्योगिकी चालित द्वितीय हरित क्रांति लाएंगे और 'प्रौटीन क्रांति' को ध्यान देने के मुख्य क्षेत्र के रूप में शामिल करेंगे।

80. चूंकि बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान गारंटी के रूप में भू-स्वामित्व प्रदान करने में अक्षम हैं, इसलिए उनको संस्थागत वित्तपोषण मना है और वे साहूकारों की सूदखोरी वाली उधार का शिकार बन जाते हैं। मैं चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड के जरिए 'भूमिहीन किसान' के संयुक्त कृषि समूहों को ₹5 लाख के धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

81. कृषि उपज में मूल्य अस्थिरता किसानों के लिए अनिश्चितताएं और मुश्किलें पैदा करती है। इसको कम करने के लिए मैं मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए ₹500 करोड़ की राशि की व्यवस्था कर रहा हूँ।

82. किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और बाजारों का समेकन करके बाद में पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ घनिष्टता से कार्य करेगी ताकि उनके संबंधित एपीएमसी अधिनियमों को (i) निजी बाजार यार्डों/निजी बाजारों की स्थापना के लिए व्यवस्था करने हेतु पुनराभिमुख किया जा सके। राज्य सरकारों को शहरी क्षेत्रों में किसानों के बाजार विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

83. मैं देशीय पशु नस्लों के विकास के लिए ₹50 करोड़ की राशि तथा अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग में नीली क्रांति प्रारंभ करने के लिए इतनी ही राशि अलग से रखने का प्रस्ताव रखता हूँ।

कृषि ऋण

84. वर्ष 2014-15 के दौरान, कृषि ऋण के लिए ₹8 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, मुझे उम्मीद है कि बैंक इसे अधिक ऋण प्रदान करेगा।

अल्पावधिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता स्कीम

85. अल्पावधिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता स्कीम के अंतर्गत, बैंक 7% की रियायती दर पर किसानों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को 3% का और प्रोत्साहन मिलता है। मैं इस स्कीम को 2014-15 में जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

86. प्राथमिकता क्षेत्र में से, बैंकों के ऋण देने में कमी के कारण नाबार्ड, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) का कार्य करता है, जो पूरे देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में

अवसंरचना के सृजन में मदद करता है। मौजूदा वित्त वर्ष में ₹25,000 करोड़ को अंतरिम बजट में दिए गए लक्ष्य से अतिरिक्त ₹5000 करोड़ देकर आरआईडीएफ निधि जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

भाण्डागार अवसंरचना निधि

87. कृषि उत्पादों का भण्डारण काल बढ़ाने के लिए और उसके द्वारा किसानों के अर्जन क्षमता के लिए बढ़ते भण्डारागार क्षमता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में वैज्ञानिक भण्डारागार अवसंरचना की उपलब्धता की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, वर्ष 2014-15 के लिए मैं ₹5,000 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि का सृजन

88. कृषि में दीर्घावधिक निवेश ऋण का हिस्सा अल्पावधिक फसल ऋण की तुलना में कम हो रहा है। यह कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलापों में आस्ति सृजन को गंभीर रूप से बाधित कर रहा है। कृषि में दीर्घावधिक निवेश ऋण को बढ़ावा देने के लिए मैं सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में "दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि" स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि का आबंटन

89. केन्द्रीय बजट 2008-09 में ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) पुनर्वित्त निधि की घोषणा की गई थी। किसानों को वर्द्धित और निर्बाध ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने और नाबार्ड द्वारा उच्च लागत वाले बाजार उधार से बचाने के लिए 2014-15 के दौरान, मैं एसटीसीआरसी के लिए ₹50,000 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उत्पादक विकास और उत्थान निधि (प्रोड्यूस)

90. देश में छोटे और सीमांत किसानों के अनुपातिक वृद्धि के उद्देश्य से कृषि आधारित छोटे धारक की लाभप्रदयता के मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं। मैं, उत्पादक विकास और उत्थान जिन्हें प्रोड्यूस के नाम से जाना जाता है, अगले दो वर्ष में पूरे देश में 2,000 उत्पादक संगठनों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने के लिए नाबार्ड के उत्पादक संगठन विकास निधि के अनुपूरण हेतु ₹200 करोड़ देने का प्रस्ताव करता हूँ।

खाद्य सुरक्षा

91. सरकार, खाद्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वहनीयता और वितरण संबंधी हानियों को कम करने और उनकी क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

92. समाज के कमजोर वर्गों को उचित कीमतों पर गेहूँ और चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यहां तक कि अप्रत्याप्त वर्षों के कारण कृषि उत्पादन में मामूली कमी होती है

फिर भी किसी आपात से निपटने के लिए केन्द्रीय पुल में स्टॉक प्रर्याप्त हैं। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार, आवश्यक हो तो, खुला बाजार बिक्री शुरू करेगी।

किसान टी.वी.

93. किसान टी.वी. जो कृषि और सम्बन्ध क्षेत्र के हितों के लिए समर्पित है मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू किया जाएगा। यह किसानों के लिए नई खेती तकनीकियों, जल संरक्षण, जैविक खेती आदि जैसे संबंधित विषयों पर वास्तविक समय सूचना का प्रचार-प्रसार करेगा। मैं इस प्रयोजनार्थ कुल ₹100 करोड़ नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

IV उद्योग

94. भारत में ई-बिज प्लेटफार्म का उद्देश्य कारोबार और निवेशक अनुकूल माहौल का सृजन करना है जिनका लक्ष्य एकीकृत भुगतान गेटवे वाले 24x7 एकल पोर्टल पर उपलब्ध सभी कारोबार और निवेश से संबंधित अनापत्तियों और अनुपालनाओं को तैयार करना है। सभी केन्द्रीय सरकार के विभाग और मंत्रालय इस वर्ष 31 दिसम्बर तक प्राथमिकता आधार पर ई-बिज प्लेटफार्म से अपनी सेवाओं को जोड़ेंगे।

95. परिवहन संयोजकता से जुड़े स्मार्ट शहरों के साथ औद्योगिक गलियारे का विकास समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण, जिनका मुख्यालय पुणे में है, की स्थापना की जा रही है। यह कार्यनीति की आधारशिला होगी ताकि विनिर्माण और शहरीकरण में भारत के विकास को गति प्रदान की जा सके। मैंने, इस प्रयोजन के लिए ₹100 करोड़ का प्रारंभिक निधि उपलब्ध करायी है।

96. भारत के सात राज्यों में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक मास्टर आयोजना में औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना शीघ्रतापूर्वक पूरी कर ली जाएगी। चन्नई-बंगलुरु औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में तीन नए स्मार्ट शहरों की मास्टर योजना अर्थात् तमिलनाडू में पोन्नेरी, आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम और कर्नाटक में तुमकुर को पूरा कर लिया जाएगा।

97. बंगलुरु-मुम्बई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी) के लिए संबंधित योजना और विजाग-चेन्नई गलियारा को 20 नए औद्योगिक क्लस्टरों के प्रावधान के साथ पूरा किया जा सकेगा।

98. हार्डवेयर विनिर्माण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए काकिनाडा, इसके आसपास के क्षेत्र और पत्तन का विकास, आर्थिक विकास के प्रमुख प्रचालकों के रूप में किया जाएगा।

99. निर्यात में घातांकी वृद्धि तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि सुदृढ़ अवसंरचना और पूर्ण सुगमता उपलब्ध कराकर निर्यात संवर्धन में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि उच्च विकास पथ पर भारत के निर्यात को लाने के लिए राज्यों को जोड़ा जाए। सभी स्टेकहोल्डरों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक निर्यात मिशन की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

100. विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को पुनः बहाल करने और औद्योगिक-उत्पादन, आर्थिक विकास, निर्यात संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए उन्हें कारगर माध्यम बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए, विशेष, आर्थिक क्षेत्रों को परिचालित करने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेशकों के हित को बहाल करने, बेहतर अवसंरचना का विकास करने और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्ध अप्रयुक्त भूमि का कारगर और दक्षतापूर्ण तरीके से उपयोग करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रशिक्षता

101. भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना करते हुए, प्रशिक्षता प्रशिक्षण स्कीम का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और उद्योग में आने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रशिक्षता अधिनियम को उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाएगा ताकि उद्योग और युवाओं को और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकेगा। हम सूक्ष्म, मझौले और मध्यम उद्यमों को भी प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इस स्कीम का लाभ उठा सकें।

सूक्ष्म, मझौले और मध्यम उद्यम क्षेत्र

102. सूक्ष्म मझौले और मध्यम उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारे औद्योगिक उत्पाद और रोजगार में इन का बड़ा हिस्सा है। सेवा क्षेत्र उद्यमों का बड़ा हिस्सा मझौले और मध्यम उद्यम का है। इनमें से अधिकतर एसएमई स्वयं खाता उद्यम हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से अधिकतर उद्यम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के स्वामित्व में हैं। इन क्षेत्रों का वित्तपोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है खासकर चूंकि यह सबसे कमजोर तबकों को लाभ पहुंचाता है। वित्त का एक बड़ा अंश औपचारिक क्षेत्र के बाहर से आता है। इसके अपने नुकसान हैं। इस क्षेत्र में वित्तीय अवसंरचना की जांच करने, उनके वित्तपोषण में आई बाधाओं को दूर करने और नए नियमों और अवसंरचनाओं का भी सृजन करने की आवश्यकता है, जो औपचारिक वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवश्यक होंगे। मैं, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म मझौले और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों से एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो तीन महीनों में ठोस सुझाव दे सके।

103. यह प्रस्ताव है कि उद्यम पूंजी निधि, अर्ध इक्विटी, कम ब्याज दर वाले ऋण और अन्य जोखिम पूंजी खासकर युवाओं द्वारा नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने, के जरिए इक्विटी उपलब्ध कराकर ₹10,000 करोड़ से निधियों की निधि स्थापित की जाए।

104. नवोन्मेष, उद्यमिता और कृषि-उद्योग से संबंधित के लिए तकनीकी केन्द्र नेटवर्क की स्थापना हेतु, मैं ₹200 करोड़ की निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। उच्च पूंजी सीमा उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई की परिभाषा की पुनरीक्षा की जाएगी।

105. उच्चतर पूंजी सीमा उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई की परिभाषा की पुनर्समीक्षा की जाएगी। अगले और पिछले संयोजनों की सुविधा के लिए विनिर्माण तथा सेवा प्रदाता की बहुमूल्यन-श्रृंखला पर एक कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

106. आसान निकासी के लिए एसएमई के लिए उद्यमी समर्थक कानूनी दिवालिया ढांचा विकसित किया जाएगा। त्वरित उद्यमिता के लिए आवश्यक समर्थन मुहैया कराने और नए विचारों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक देशव्यापी "जिला स्तरीय इन्कमबेशन एण्ड एकसेलेटर प्रोग्राम" शुरू किया जा सकेगा।

वस्त्र

107. हस्तकरघा उत्पादों का विकास और संवर्धन करने और वाराणासी जहां, एक टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर की सहायता करने का इरादा रखता हूँ, के हस्तकरघों की उच्च परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए ₹50 करोड़ का परिव्यय वाले एक व्यापार सुविधाकरण केन्द्र और एक शिल्प संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। बरेली, लखनऊ, सूरत, कच्छ, भागलपुर और मैसूर में छह और टेक्सटाइल मेगा-क्लस्टरों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं, इस प्रयोजन के लिए कुल ₹200 करोड़ का आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

108. दिल्ली में पीपीपी प्रणाली में हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के संरक्षण, बहाली और प्रलेखन के लिए एक हस्तकला अकादमी स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं, इस प्रयोजन के लिए कुल ₹30 करोड़ रखता हूँ।

109. जम्मू व कश्मीर के अन्य शिल्पों के विकास के लिए पश्मिना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3) की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, ₹50 करोड़ की राशि रख रहा हूँ।

V. अवसंरचना

110. भारत विश्व में सबसे बड़ा पीपीपी बाजार के रूप में उभरा है जहां विकास के विभिन्न चरणों में 900 से अधिक परियोजनाएं हैं। पीपीपी ने हवाई अड्डों, पत्तनों और राजमार्गों जैसी कुछेक विशिष्ट अवसंरचना प्रदान की है जो वैश्विक रूप से विकास के लिए मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। किंतु हमने पीपीपी फ्रेमवर्क की खामियों कठोर संविदात्मक व्यवस्थाओं, अधिक सूक्ष्म और संविदा की परिष्कृत मॉडलों को विकसित करने की जरूरत और कठिन परियोजनाओं के दबाव को कम करने के लिए त्वरित विवाद समाधान प्रक्रिया विकसित करने की खामियों को भी देखा है। सरकारी निजी भागीदारी जिन्हें 3 पी इंडिया कहा जाता है को मुख्यधारा में रखते हुए सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाएगी जिसमें ₹500 करोड़ की आधारभूत निधि है।

पोत परिवहन

111. भारतीय नियंत्रित टन भार की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति तैयार किया जाएगा जिसे कि भारतीय समुद्री यात्रियों के रोजगार में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। व्यापार बढ़ाने के लिए पत्तनों का विकास भी महत्वपूर्ण है। पत्तन संयोजकता पर केन्द्रित करते हुए इस वर्ष सोलह नए पत्तन परियोजनाओं को अवार्ड दिए जाने का प्रस्ताव है। चरण I के लिए तूतीकोरिन में बाह्य बंदरगाह परियोजना के विकास के लिए ₹11,635 करोड़ आबंटित किए जाएंगे। कांडला और जेएनपीटी में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति की भी घोषणा की जाएगी।

अन्तरदेशीय नौवहन

112. जिंसों की परिवहन क्षमता बढ़ाने हेतु अंतर देशीय जलमार्ग का विकास व्यापक रूप से सुधारा जा सकता है। 1620 कि.मी. की दूरी कवर करने के लिए इलाहाबाद और हल्दिया के बीच "जल मार्ग विकास (राष्ट्रीय जल मार्ग-1)" नामक एक गंगा परियोजना विकसित की जाएगी। जिन्हें कम से कम 1500 टन पोतों का वाणिज्यिक नौवहन हो सकेगा। ₹4200 करोड़ की अनुमानित लागत से यह परियोजना छह वर्ष में पूरी होगी।

नए विमानपत्तन

113. हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने के बावजूद हवाई यात्रा आज भी कई इच्छुक भारतीयों के लिए सपना बनी हुई है। टीयर-I तथा टीयर-II में नए विमानपत्तनों की एक स्कीम शुरू की जाएगी जोकि यथा संभव सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी से लागू की जाएगी।

सड़क क्षेत्र

114. सड़क क्षेत्र देश के संचार में एक धमनी का कार्य करता है। इस क्षेत्र को 1998-2004 में एन.डी.ए-I के काल में तैयार किया गया था। अवरूद्ध बाधित स्वीकृतियों व निकासियों के साथ-साथ इस क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश किए जाने की पुनः आवश्यकता है। मैं एनएचएआई और राज्य सड़कों पर ₹37,880 के निवेश का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें ₹3000 करोड़ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए होंगे। सीएफवाई लक्ष्यों के दौरान 85,00 कि.मी. राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

115. किसी आधुनिक राष्ट्र को परिवहन के बहुसाधनों की जरूरत होती है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसा परिवहन नेटवर्क होना चाहिए जो भौगोलिक तौर पर दूर-दराज के नगरों के बीच तीव्र यात्रा सुनिश्चित करे। इससे देश में वस्तुओं का परिवहन सुलभ होने से आपूर्ति चेन में भी सुधार होगा। औद्योगिक गलियारों के साथ-साथ ही हमें चुर्नीदा एक्सप्रेस वे पर भी काम शुरू करना होगा। इस परियोजना की तैयारी के लिए एनएचएआई ने ₹500 करोड़ की राशि नियत की है।

विद्युत

116. स्वच्छ और ज्यादा असरकारी ताप विद्युत को बढ़ावा देने के लिए मैं "अल्ट्रा माडर्न सुपर क्रिटिकल कोल आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी" के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्ताव करता हूँ।

कोयला

117. घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक बन्दोवस्त किए जा रहे हैं, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण, जिसमें क्रशड कोल की आपूर्ति और वाशरीज की स्थापना भी शामिल है। कोयला क्षेत्र में विद्यमान गतिरोध सुलझा लिया जाएगा और ऊर्जा संयंत्रों को कोयला का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाएंगे जो कि पहले से काम शुरू कर चुके या मार्च 2015 तक काम शुरू करने वाले विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला मुहैया कराया जाएगा। कोयला लिंकेज की यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया कोयला परिवहन को अधिकतम करेगी और इस प्रकार विद्युत की लागत कम होगी।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

118. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बहुत उच्च प्राथमिकता दिया जाना है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू व कश्मीर के लद्दाख में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए मैंने 500 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किया है। एक लाख पम्पों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम सौर ऊर्जा चलित कृषि पम्प सेट तथा जल पम्पिंग केन्द्र स्कीम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं 400 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। नहरों के किनारे 1 मेगावाट सौर पार्कों के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। पवन ऊर्जा का त्वरित विकास करने के लिए मैं त्वरित अवमूल्यन के फायदे को पुनः बहाल करने का प्रस्ताव रखता हूँ। पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा का स्थानांतरण सुसाध्य बनाने के लिए हरित ऊर्जा कोरीडोर परियोजना को इस वित्त वर्ष में त्वरित किया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

119. मेरी सरकार की मंशा है कि कोयला क्षेत्र में आरक्षित मिथेन का उत्पादन और दोहन त्वरित गति से किया जाए। ऐसे स्थलों से अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए पुराने या बंद पड़े कुआँ को दोबारा खोलने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना की भी तलाश की जाएगी।

120. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उपयोगिता मिशन मोड में तेजी से बढ़ायी जाएगी क्योंकि यह स्वच्छ है और इसकी प्रदायगी में सहूलियत होती है।

121. इस समय देश में हमारे पास 15,000 कि.मी. गैस पाइप लाइन सिस्टम है। देश भर में गैस ग्रिड पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15,000 कि. मी. पाइपलाइन की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव है कि उपयुक्त सरकारी निजी भागीदारी माडलों का उपयोग करते हुए इन पाइप लाइनों का विस्तार किया जाए। घरेलू तथा आयातित गैस का उपयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी जो लम्बे समय में ऊर्जा के किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम करने में फायदेमंद होगा।

खनन

122. पर्यावरणीय सरोकारों का त्याग किए बगैर उद्योग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए सतत खनन प्रचलनों को प्रोत्साहित करना और खनन सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन देना मेरी सरकार की मंशा है। लौह अयस्क के खनन सहित खनन सेक्टर में बाधाओं को शीघ्रता से दूर करने की आवश्यकता है। इसे सुसाध्य बनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में परिवर्तन बदलाव लाया जाएगा।

रायल्टी दर में संशोधन

123. खनिजों पर रायल्टी की दर में संशोधन करने के लिए अनेक राज्य सरकारों से अनुरोध किए गए हैं। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि रायल्टी में संशोधन तीन वर्ष की अवधि के बाद किया जा सकता है। पिछली बार अगस्त, 2009 में संशोधन किया गया था। अतः राज्य सरकारों के लिए अधिकाधिक राजस्व सुनिश्चित करने हेतु और एक संशोधन किया जाएगा।

VI. वित्तीय सेक्टर

पूंजी बाजार

124. वित्तीय सेक्टर विकास इंजन का केन्द्र बिन्दु है। संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए वैश्वीकरण विदेशी बचतों को भारत लाने में सहायता करता है। अपितु वित्तीय सेक्टर को वैश्विक अर्थव्यवस्था की लहर से असुरक्षित भी बना देता है। हमने इसे बहुतायत में विगत हाल में देखा है। कानूनी विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना और आधुनिक बनाना अनिवार्य है। भारतीय वित्तीय संहिता जैसे कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, जो बेहतर अभिशासन और जवाबदेही के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस पर शीघ्रता से सभी पण्यधारकों के साथ परामर्श की चालू प्रक्रिया को पूरा करने मेरा प्रयास होगा। बढ़ती जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा अपनाया भी अनिवार्य है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गहन परामर्श करके ऐसी मौद्रिक नीति ढांचा लाएगी।

125. यद्यपि उपर्युक्त उपायों के प्रभाव मध्यावधि में महसूस किए जाएंगे, इसी उद्देश्य के लिए मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव रखता हूँ :

- i) वित्तीय सेक्टर के विनियामकों को जीवंत, गहन और नकदी कारपोरेट बांड बाजार के लिए तुरन्त कदम उठाने और अनावश्यक अड़चनों को दूर करके मुद्रा व्युत्पन्न बाजार को गहन बनाने की सलाह देना।
- ii) सभी सेक्टरों के लिए विदेश में भारतीय कारपोरेट द्वारा जारी सभी बांडों में 5% रोक लगाने के कर की उदासीकृत सुविधा देना और स्कीम की वैधता 30-06-2017 तक बढ़ाना।
- iii) सभी अनुमेय प्रतिभूतियों पर निक्षेपागार प्राप्ति जारी करना अनुमत बनाने के लिए एडीआर/जीडीआर के दायरे को उदार बनाना।
- iv) भारतीय ऋण प्रतिभूतियों का अंतरराष्ट्रीय भुगतान अनुमत करना।
- v) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का पूरी तरह पुनर्जीवित करना और कहीं अधिक उदार और महत्वाकांक्षी भारत निक्षेपागार प्राप्ति शुरू करना।
- vi) चिर-प्रतिक्षित समस्या का समाधान करने के लिए जिन निधियों के प्रबंधक भारत में स्थित हैं उन विदेशी निधियों की आय पर कर उपाय स्पष्ट करना।

126. भारतीय पूंजी बाजार विकासशील भारत के लिए जोखिम पूंजी का स्रोत रहा है। मैं, निम्नलिखित सहित इस बाजार को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक उपाय करने का प्रस्ताव रखता हूँ :

- i) एक समान अपने ग्राहक को जानो मानदण्ड और समस्त वित्तीय सेक्टरों में केवाईसी रिकार्डों का अन्त-उपयोग आरंभ करना।

- ii) एक ही प्रचालनात्मक डिमैट खाता शुरू करना ताकि भारतीय वित्तीय सेक्टर के उपभोक्ता इसी एक खाते के जरिए सभी वित्तीय आस्तियों तक पहुंच सकें और लेन-देन कर सकें।

127. वस्तु बाजारों के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने के भाग के रूप में, भण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण ने भण्डागार सेक्टर को शक्तिशाली बनाने सौदे-बाजी योग्य भण्डागार प्राप्तियों के विरुद्ध किसानों को फसल कटाई पश्चात् ऋण देने में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए परिवर्तन आयोजना शुरू की है। इस आयोजना को उत्साह पूर्वक क्रियान्वित किया जाएगा।

128. मौजूदा भारतीय लेखाकरण मानकों को अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समाभिरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता है। भारतीय कम्पनियों द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक रूप से और वित्त वर्ष 2016-17 से अनिवार्य रूप से नए भारतीय लेखाकरण के मानक अपनाने का प्रस्ताव रखता हूं। अन्तरराष्ट्रीय सहमति के आधार पर बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि के लिए भारतीय लेखाकरण मानकों के क्रियान्वयन की तारीख को विनियामक अलग से अधिसूचित करेंगे। कर परिगणना के मानकों की अलग से जांच की जाएगी।

बैंकिंग

129. सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। सैद्धांतिक रूप से सरकार इन सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत है।

130. देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में एक समयबद्ध कार्यक्रम इस वर्ष 15 अगस्त को प्रारंभ किया जाएगा। इसमें समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा, इसमें महिलाएं छोटे और सीमान्त किसान और श्रमिक भी शामिल होंगे। प्रत्येक परिवार में दो बैंक खाते खोलने का प्रस्ताव है, जो ऋण के लिए भी पात्र होंगे।

131. इस सेक्टर में अपेक्षाकृत बड़े निजी सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहन देने में अवसंरचना हेतु दीर्घावधिक वित्तपोषण बड़ी अड़चन बनी हुई है। आस्ति पक्ष में, बैंकों को अवसंरचना सेक्टर के लिए दीर्घावधिक ऋण देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसकी संरचना में लचीलापन होगा, जिससे संभावित प्रतिकूल आकस्मिकताओं को आत्मसात किया जा सके (कभी-कभी 5-25 संरचना के रूप में जाना जाता है)। देनदारी पक्ष में बैंकों को अवसंरचना सेक्टर को देने हेतु दीर्घावधिक निधि जुटाने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी पूर्व शर्तें कम से कम होंगी जैसाकि सीआरआर, एसएलआर और प्राथमिक सेक्टर ऋण (पीएसएल)।

132. मौजूदा ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद वर्तमान वित्त वर्ष में निजी सेक्टर में सार्वभौमिक बैंकों को सतत् प्राधिकार देने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाएगा। छोटे बैंकों और अन्य विशिष्ट बैंकों को लाइसेंस देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक ढांचा तैयार करेगा। आला हितों की पूर्ति करने वाले विशिष्ट बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, भुगतान बैंक आदि की परिकल्पना छोटे कारोबारों, असंगठित क्षेत्र, निम्न आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी कार्य बल की ऋण और प्रेषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है।

133. सरकार के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां जुटाना एक चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़, बेंगलुरु, एरनाकुलम, देहरादून, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में छह नए ऋण वसूली न्याधिकरण स्थापित किए जाएंगे। अन्य बलित आस्तियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार कारगर उपाय तैयार करेगी।

बीमा सेक्टर

134. भारत में बीमा के लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग तक नहीं पहुंच पाए हैं और बीमा की पैठ तथा सघनता बहुत कम है। सरकार बहु-आयामी तरीके से इस स्थिति का समाधान करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए सभी संबंधित पणधारकों की सहायता ली जाएगी। इसमें उपयुक्त कर प्रोत्साहन, बैंकिंग सम्पर्कियों का उपयोग, निजी सेक्टर की बीमा द्वारा खोले गए वृहद् कार्यालयों को सुदृढ़ करना शामिल होंगे। संसद के विचारार्थ लंबित बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को भी इसमें लेने का प्रस्ताव है।

135. वित्तीय सेक्टर में सुधार के अंतर्गत कानूनी प्रयासों के भाग के रूप में इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत विनियामक कमी को पाटने का प्रस्ताव है। इन उपायों से कंपनियों और निकायों का कारगर विनियमन सुसाध्य हो सकता है, जिसने देश में अनेकों निर्धनों और असुरक्षित लोगों को धोखा दिया है।

अल्प बचतें

136. बचत दर में गिरावट की चिन्ता दूर करने और अल्प बचतकर्ताओं के लिए प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए, मैं अल्प बचतों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव रखता हूं।

137. मेरी सरकार कन्या (लड़की बच्ची) के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देती है। कन्या को शिक्षा देने और उसके विवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष अल्प बचत लिखत शुरू की जाएगी। बीमा कवर के साथ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र भी अल्प बचतकर्ता को अतिरिक्त फायदा पहुंचाने के लिए शुरू किया जाएगा।

138. लोक भविष्य निधि स्कीम में वार्षिक अधिकतम सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया जाएगा।

VII रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

139. हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अतः मैं रक्षा के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 2,30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

एक रैंक एक पेंशन

140. हम साहसी सिपाहियों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनःपुष्टि करते हैं। पेंशन की विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा "एक रैंक एक पेंशन" की नीति अपनायी गई है। इस वर्ष की आवश्यकता पूरी करने के लिए और 1000 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव रखते हैं।

आधुनिकीकरण

141. सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है ताकि भारत के सामरिक हितों की रक्षा में अपनी कारगर भूमिका निभाने हेतु उन्हें समर्थ बनाया जा सके। अतः मैं मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा हेतु पूंजी परिव्यय 5000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल प्रणाली का त्वरित विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपए शामिल है। अधिप्राप्ति की प्रक्रिया तेज और अधिक सक्षम बनाने के लिए इसे सरल और कारगर बनाने हेतु अनिवार्य कदम भी उठाए जाएंगे।

युद्ध स्मारक

142. देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए महान बलिदान देने हेतु सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जवानों के प्रति देश ऋणी है। ऐसा करने में उनमें से बहुतों ने अपनी जान गवाई है। उनके स्मरण में उपयुक्त स्मारक खड़ा करना राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रिन्सेज पार्क में युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। इसका अनुपूरण युद्ध संग्रहालय द्वारा होगा। इसके लिए मैं 100 करोड़ रुपए का आवंटन देता हूँ।

रक्षा उत्पादन

143. वर्ष 2011 में सरकारी और निजी सेक्टर की कंपनियों को आवश्यक संसाधन मुहैया कराने के लिए अलग से एक निधि की घोषणा की गई थी, इसमें एसएमई तथा देश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने वाली रक्षा प्रणाली के अनुसंधान और विकास में सहायक शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थाएं शामिल हैं। तथापि, घोषणा के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिए इस उद्देश्य की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि स्थापित करने हेतु मैं 100 करोड़ रुपए निर्धारित करता हूँ।

आंतरिक सुरक्षा

144. राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम की समीक्षा की जाएगी। मैं मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटन 2013-14 के 1847 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में छोटे परन्तु अति आवश्यक विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी मैं अतिरिक्त निधियां आवंटित करता हूँ।

145. सीमा अवसंरचना के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती गावों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 990 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। समुद्री पुलिस थाना, जेटीज के निर्माण और नावों की खरीद आदि के लिए 150 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

146. पुलिस बलों के अधिकारियों और जवानों के प्रति राष्ट्र ऋणी है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी शामिल हैं जो देश के भीतर लगातार दुश्मनों से लड़ते रहते हैं और इस प्रक्रिया में कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। मैं उपयुक्त राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाने की घोषणा करता हूँ। मौजूदा वित्त वर्ष में इसके लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करता हूँ।

VIII संस्कृति और पर्यटन

147. भारत की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर उद्योग के रूप में पर्यटन के विकास और रोजगार सृजन के लिए बड़ी संभावना प्रदान करती है, और हम विशिष्ट थीमों के ईर्द-गिर्द 5 पर्यटक सर्किट बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए हम 500 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखते हैं।

148. राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनरोद्धार और अध्यात्मिक परिवर्धन कार्यक्रम (प्रसाद) शुरू किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।

149. विरासत नगरों की विशिष्टताओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना (हृदय) लागू की जाएगी। इस प्रयोजन का यह कार्यक्रम में मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, बेल्गांकाणी और अजमेर जैसे नगरों में आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मैं 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ। किफायती तकनीकों और सहभागिता के आधार पर यह परियोजना सरकार, अकादमिक संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के द्वारा लागू की जाएगी।

150. पुरातात्विक स्थलों के परिरक्षण की ओर भी अविलम्ब ध्यान दिया जाना जरूरी है, अन्यथा अपनी भावी पीढ़ी के लिए हम कहीं इन प्राचीन विरासतों से हाथ न धो बैठें। इस वर्ष के लिए मैं 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूँ।

151. पूरे विश्व से पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाओं के साथ सारनाथ-गया-वाराणसी बौद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा।

152. इधर कई वर्षों से गोआ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरा है। यह भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के एक स्थायी स्थल के रूप में घोषित हो चुका है। यहां पर एक विश्वस्तरीय समारोह स्थल विकसित किए जाने की महती आवश्यकता है। यह कार्य निजी क्षेत्र की सक्रिय तथा घनिष्ठ सहभागिता द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता है। भारत सरकार वीजीएफ स्कीम के जरिए सार्वजनिक-निजी-सहभागिता के आधार पर सुविधाएं सृजित करने की इस पहल को पूरा-समर्थन देगी।

जल संसाधन और गंगा की सफाई

नदियों को जोड़ना

153. नदियां देश की जीवन रेखाएं हैं। वे हमें सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के लिए सिंचाई ही नहीं देती अपितु पेयजल भी उपलब्ध कराती हैं। दुर्भाग्यवश ये सदानीरा नदियां पूरे देश में समान रूप

से नहीं बहतीं। इसलिए नदियों को जोड़ने का प्रयास देश के लिए असाधारण रूप से लाभकारी हो सकता है। यही समय है जब हम इस दिशा में गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ।

पावन नदियाँ

154. गंगा, जोकि इस देश की सामूहिक चेतना में विशिष्ट पावन स्थान रखती है, के संरक्षण और शुद्धि के लिए काफी राशि खर्च की जा चुकी है। तथापि सभी सम्बद्ध पक्षों द्वारा मिलकर की जाने वाली ठोस कार्रवाई के अभाव में ये प्रयास किसी वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच सके हैं। मैं "नमामि गंगे" नाम से एक एकीकृत गंगा संरक्षण की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ और इस वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूँ।

घाटों का विकास और नदी उद्गमस्थलों का सौन्दरीकरण

155. हमारी नदियों के उद्गम स्थल और घाट प्रचुर ऐतिहासिक विरासत युक्त ही नहीं है, बल्कि उनमें से अधिकांश पावन स्थल भी रहे हैं। देश में इस प्रक्रिया के श्री गणेश के लिए मैं चालू वित्त वर्ष में घाट विकास और केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली के सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ।

अनिवासी गंगा निधि

156. भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्कृति के संवर्धन और परिरक्षण जैसे क्षेत्रों के विकास में अनिवासी भारतीयों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। इस संदर्भ में, गंगा नदी के परिक्षण को लेकर अनिवासी भारतीयों की प्रेरणा और उत्साह को उपयोग में लाने के लिए एक अनिवासी कोष गठित किया जाएगा। यह शेष विशेष परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र

157. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ऐसे कई अग्रणी अनुसंधान केंद्र हैं जो नैनाटेक्नालाजी, सामग्री विज्ञान, तथा बायो चिकित्सा, उपकरण प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। सरकार इस तरह के कम से कम पांच संस्थानों को प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र के रूप में सुदृढ़ करेगी और सरकारी-निजी-सहभागिता के द्वारा इन्हें और भी नवोन्मेषी और प्रभावी स्वरूप प्रदान करेगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र से निवेश जुटाना।

158. फरीदाबाद और बेंगलुरु में बायोटेक कलस्टर्स का विकास उच्चतर अन्तर्राष्ट्रीय गुणवक्ता को और भी अधिक बढ़ाएगा। यह प्रयास डिजीज़ बायोलाजी, स्टेम सेल बायोलाजी और हाइ एंड इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी के लिए माडेल आरंगेनिज्म संसाधनों के आकलन में वैश्विक भागीदारी को जोड़ेगा।

159. मोहाली में अभिनव कृषि बायोटेक कलस्टर्स से प्लाट जेनेटिक तथा फेनो-टाइप प्लेटफार्म का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा निजी तथा सरकारी भागीदारी के आधार पर मोहाली में कृषि को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पुणे और कोलकाता में भी दो नए कलस्टर्स स्थापित किए जाएंगे।

160. जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो-टेक्नोलाजी के अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र के दिल्ली घटक को जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में विश्वनायक के रूप में स्थापित करते हुए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक भागीदारी विकसित की जाएगी।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

161. 2014-15 में कई प्रमुख अन्तरिक्ष मिशनों की योजना है, जिनमें भारत के भावी हैवी क्षमता वाले लान्चर जी एस.एल.वी. एम.के.-II की प्रायोगिक उड़ान, पी.एस. एल.वी. का वाणिज्यिक प्रतिस्थापन और दो और नेवीगेशनल उपग्रह आदि शामिल हैं।

162. मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला हमारा अन्तरिक्ष यान डेजिग्नेटेड हेलियो सेन्ट्रिक ट्रेजेक्टरी के साथ अपनी 300 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा पर है। मार्स आरबिटर अन्तरिक्ष यान के 24 सितम्बर, 2014 तक मंगलग्रह की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है।

खेल तथा युवा मामले

खेल

163. खेल प्रगति और वैयक्तिक विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में खेल अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। सरकार देश के विभिन्न भागों में कई प्रमुख खेलों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियां स्थापित करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय सहूलियतों और सुविधाओं से लैस इन अकादमियों में निशानेबाजी, तीरन्दाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन तथा ट्रैक और फील्ड आधारित विविध स्पर्धाओं के क्षेत्र में जूनियर और सब जूनियर स्तर की बेहतरीन प्रतिभाओं को तलाशा और तराशा जाएगा।

164. जम्मू और कश्मीर में पर्याप्त रूप से खेल प्रतिभाएं विद्यमान हैं किन्तु अपर्याप्त खेल सुविधाओं के कारण वहां के युवक अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं। मैं जम्मू और कश्मीर घाटी में अन्तर्राष्ट्रीय मानकोयुक्त इन्डोर और आउटडोर खेल स्टेडियमों के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं।

165. मैं मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं।

166. देश के हिमालयी क्षेत्र में तथा इसके विविध भागों में बसे राज्यों में खेलों की अपनी अनोखी परम्पराएं विकसित हुई हैं। इनके विकास के लिए भारत इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक खेल आयोजित करेगा और इन खेलों में नेपाल और भूटान जैसे पर्वतीय देशों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

167. आगामी एशियायी खेलों में भारत के पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए मैं 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करता हूं।

युवा

168. युवा रोजगार कार्यालयों को कैरियर केंद्रों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा, और नौकरी की उपलब्धता सम्बन्धी सूचना देने के बजाए ये केन्द्र अब युवाओं को परामर्श-सलाह की सुविधा देंगे जिससे कि वे अपनी योग्यता और रुझान के अनुरूप अपने लिए रोजगार तलाश सकें। मैंने इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए हैं।

169. भारत का युवा व्यावहारिक, दूरदृष्टि सम्पन्न है और सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की इच्छा रखता है। नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए मैं 100 करोड़ रुपए के आरम्भिक आवंटन के साथ "युवा नेतृत्व कार्यक्रम" की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं।

IX. अन्य प्रस्ताव

कश्मीरी विस्थापित प्रवासी

170. इस देश में विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास हेतु हमारे विशेष सहयोग की जरूरत है। मैं चालू वित्त वर्ष में इस वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

हिमालय का परिरक्षण

171. देश में हिमालय अध्ययन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं 100 करोड़ रुपए के आरम्भिक परिव्यय के साथ हिमालय अध्ययन के लिए उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

सीमा शुल्क अकादमी

172. हिन्दूपूर, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य

आर्गेनिक खाद्य

173. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्गेनिक खेती के विकास की असाधारण क्षमता है। आर्गेनिक खाद्य की पूरी दुनियां में बढ़ रही मांग के मद्देनजर पूर्वोत्तर के राज्यों में रहने वाले लोग वाणिज्यिक आर्गेनिक खेती के विकास के साथ-साथ काफी लाभ कमा सकते हैं। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए मैं चालू वित्त वर्ष में यहां के लिए इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान करता हूं।

पूर्वोत्तर राज्य रेल संयोजन

174. समुचित जुड़ाव के अभाव में पूर्वोत्तर राज्य अलगाव की भावना और अपर्याप्त विकास से जूझते रहे हैं। इस अंतराल को पाटने के लिए यहां रेल प्रणाली का विकास एक तात्कालिक और

महती आवश्यकता है। मेरा इरादा इस क्षेत्र में रेल सम्पर्क बढ़ाने का है। इसके लिए मैं चालू वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव करता हूँ।

पूर्वोत्तर के लिए 24x7 चैनल

175. देश की विविधता के प्रति महत्तर जागरूकता सृजित करने, सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति के लिए टी.वी. एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है। पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषायी आस्मिता को एक सशक्त माध्यम मुहैया कराने की दृष्टि से 24x7 एक चैनल "अरुण प्रभा" शुरू किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

176. मेरी सरकार ए.पी. पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास से सम्बंधित सभी मसलों के त्वरित निवारण के लिए कृत संकल्प है। संघीय सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दोनों ही राज्यों के सम्बन्ध में विविध मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

177. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली हर साल भारी मात्रा में होने वाले प्रवासन से जूझती रही है। दिल्ली ट्रांसमीशन सम्बन्धी विविध समस्याओं और जल-वितरण और आपूर्ति की अड़चनों से त्रस्त है। इन सभी समस्याओं से पार पाने और सही अर्थों में एक विश्व स्तरीय नगर के रूप में विकसित होने की दिशा में विद्युत सुधार के लिए मैं 200 करोड़ रुपए तथा जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ।

178. इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में दीर्घआवधिक जलापूर्ति के समाधान के लिए लम्बे अर्से से लम्बित रेणुका बांध का निर्माण प्राथमिकता पूर्वक किया जाएगा। इसके लिए मैंने आरम्भिक तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी

179. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा का एक अटूट अंग है। इस द्वीप समूह की संचार सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए मैं 150 करोड़ रुपए की राशि के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

180. इसी प्रकार आपदा रोधी तैयारियों को पूरा करने के लिए मैं पुदुचेरी के लिए 188 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

X. बजट अनुमान

181. अब मैं मुख्य बजट 2014-15 के बजट अनुमानों की तरफ आता हूँ। मुझे विरासत में एक परम्परा मिली है जिसके अन्तर्गत अनिवार्य मदें उपलब्ध कराते हुए भी राजकोषीय समेकन की राह पर बने रहने से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तथापि, हमें जनता की आशाओं को पूरा करने के लिए जनादेश मिला है। इसे ध्यान में रखते हुए हम 2014-15 के व्यय और प्राप्तियों का एक अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं।

182. वित्त वर्ष के लिए अनुमानित आयोजना-भिन्न व्यय 1219892 करोड़ रुपए है। जबकि योजना भिन्न अनुमानों को तैयार करते समय सभी अनिवार्य गतिविधियों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। उर्वरक सब्सिडी और सशस्त्र बलों पर पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त राशियां उपलब्ध कराई गई हैं।

183. योजना व्यय के अनुमानों को तैयार करते समय विभाग की अवग्रहण क्षमता और इसी वित्तीय परिव्यय में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की क्षमता पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 में ₹453085 करोड़ की योजना निधियां ही प्रयुक्त हो पाई थी। मुख्य बजट 2014-15 में ₹5,75,000 करोड़ के योजना आबंटन 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 26.9 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं और ये कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ग्रामीण सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना, रेल नेटवर्क के विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा उपायों, जल संसाधनों के विकास और नदी संरक्षण योजनाओं पर लक्षित हैं। इसके अलावा कार्यक्रमों के केंद्रीकरण के जरिए व्यय की गई राशि से अधिकतम प्रभावी नतीजे हासिल किए जाएंगे।

184. इस प्रकार कुल व्यय अनुमान ₹179489 करोड़ है।

185. इस व्यय के वित्तपोषण के लिए अनुमान है कि सकल कर प्राप्तियां ₹1364524 करोड़ होंगी, राज्यों के हिस्सों के अंतरण के बाद, केंद्र का हिस्सा ₹977258 करोड़ बैठेगा। वित्त वर्ष में कर-भिन्न राजस्व ₹212505 करोड़ होगा तथा उधार के अलावा अन्य पूंजीगत प्राप्तियां ₹73952 करोड़ रहेंगी।

186. उपरोक्त अनुमानों के चलते राजकोषीय घाटा सघउ का 4.1% और राजस्व घाटा सघउ का 2.9 प्रतिशत होगा।

187. माननीय सांसदों को याद होगा कि यह श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली एन.डी.ए. सरकार की ही पहल थी, जिसमें योजना निधियों का 10 प्रतिशत आबंटन अनिवार्य तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया था और इस कोष को विशेष तौर पर अव्यपगतनीय (नान लैप्सेबल) बनाया गया था। मौजूदा बजट से हम एक नया विवरण शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले योजनागत आबंटनों को अलग से दर्शाया जाएगा। वित्त वर्ष 2014-15 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹53,706 करोड़ आबंटित किए गए हैं। इसके साथ ही हमने ₹50,548 करोड़ एस.सी.एस.पी. तथा ₹32,387 करोड़ टी.एस.पी. के अन्तर्गत भी आबंटित किए हैं। मौजूदा बजट में महिलाओं तथा बच्चों के लिए क्रमश ₹98,030 करोड़ तथा ₹81,075 करोड़ आबंटित किए गए हैं।

भाग ख

XI. कर प्रस्ताव

188. अध्यक्ष महोदया, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

189. लोगों की सुरक्षा एवं कल्याण पर होने वाले सरकारी व्यय की पूर्ति के लिए, कर प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। अंतरिम बजट 2014-15 में, पूर्वाधिकारी ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में राजस्व संग्रहण लक्ष्य निश्चित किए थे, जो महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं। मैं इन लक्ष्यों को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए मेरा प्रयास होगा। अब प्रस्तावित कर बदलावों का प्रभाव, वास्तव में, बजट अनुमान 2014-15 में दिया गया है।

190. कर प्रस्ताव तैयार करते समय, मुझे अत्यंत सीमित राजकोषीय गुंजाइश की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, मैंने अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए उपाय शुरू करने और कर उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि मुकदमेबाजी के मामले कम हो तथा कतिपय क्षेत्रों में विपरीत शुल्क संरचना की समस्या से निपटा जा सके। मैंने व्यक्ति करदाताओं और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को राहत प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है।

प्रत्यक्ष कर

191. मैं प्रत्यक्ष करों से आरंभ करता हूँ।

192. अध्यक्ष महोदया, मेरा कर दर में कोई बदलाव करने का विचार नहीं है। तथापि, छोटे एवं सीमांत करदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति करदाताओं के संबंध में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा 50,000/- रुपए बढ़ाकर, 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

193. मेरा कारपोरेट या व्यष्टियों, हिंदु अविभक्त परिवारों, फर्मों आदि के लिए अधिभार की दर में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

194. सभी करदाताओं के लिए शिक्षा शुल्क 3 प्रतिशत की दर पर जारी रहेगा।

195. वर्ष 2012-13 में, सकल घरेलू बचत, सकल घरेलू उत्पाद का 30.1 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2009-10 में 33.7 प्रतिशत थी। बचतों में वृद्धि और उनके उत्पादकारी उपयोग से उच्चतर

आर्थिक विकास होता है। परिवार बचतों में मुख्य योगदान करते हैं। इसलिए दीर्घकालिक बचतों में घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत, निवेश सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

196. आवास, अत्याधिक वित्तपोषण की लागत के चलते, मध्य और निम्न मध्यवर्ग के लिए चिंता का क्षेत्र बना हुआ है। अतः, इस भार को कम करने के लिए, मैं स्वयं अधिभोगित आवास संपत्ति के संबंध में ऋण पर ब्याज मद्धे की जाने वाली कटौती सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

197. अवसंरचना और निर्माण सेक्टरों की, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थव्यवस्था के पुनःरूत्थान और अपने लाखों युवाओं के लिए नौकरियों के सृजन हेतु, इन क्षेत्रों में वृद्धि आवश्यक है। इन क्षेत्रों में बड़े बैमाने पर निवेश की व्यवस्था करने की दृष्टि से, मैं, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियमनों के अनुसार स्थापित किए जाने वाले अवसंरचना निवेश न्यासों और वास्तविक संपदा न्यासों के लिए एक अनुकूल कर प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

198. हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए, विनिर्माण सेक्टर का सर्वोपरि महत्व है। 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी को निवेश भत्ते के रूप में प्रोत्साहन देने की घोषणा पिछले वर्ष की गयी थी। अपेक्षाकृत छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, मैं, किसी वर्ष नई संयंत्र एवं मशीनरी में 25 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी को 15 प्रतिशत की दर पर निवेश भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह प्रसुविधा तीन वर्षों अर्थात् 31.03.2017 तक किए जाने वाले निवेशों के लिए मिलेगी। पिछले वर्ष जारी की गयी योजना समानांतर रूप से 31.03.2015 तक चलती रहेगी।

199. मैं, दो नए सेक्टरों अर्थात् लौह-अयस्क की दुलाई के लिए स्लरी पाइपलाइनों, तथा सेमी-कंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिटों के लिए निवेश संबद्ध कटौती देने का प्रस्ताव भी करता हूँ। इससे इन दो महत्वपूर्ण सेक्टरों में निवेश बढ़ेगा।

200. देश के लिए विद्युत की पूर्ति एक प्रमुख चिंता क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए, वार्षिक विस्तारों के बजाए, मैं, विद्युत उत्पादन, वितरण और संप्रेषण कार्य शुरु करने वाले उपक्रमों को 10 वर्षीय कर-अवकाश 31.03.2017 तक देने का प्रस्ताव करता हूँ। हमारी नीति में इस स्थायित्व से, निवेशकों को अपने निवेश की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

201. विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों ने भारत में 8 लाख रुपए से अधिक (लगभग 130 बिलियन अमरीकी डालर) का निवेश किया है। उनकी चिंताओं में एक चिंता उनकी आय के स्वरूप के कारण कराधान में अनिश्चितता है। इसके अलावा, इन विदेशी निवेशकों के निधि प्रबंधक इस आशंका में भारत से बाहर रहते हैं कि भारत में उनकी उपस्थिति से कदाचित विपरीत कर परिणाम हो सकते हैं। इस अनिश्चितता को दूर करने तथा निधि प्रबंधकों को भारत में स्थानांतरित करने को प्रोत्साहित

करने के लिए, मैं, यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों को प्रतिभूतियों में किए जाने वाले लेनदेनों से उदभूत आय को पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा।

202. भारतीय कंपनियों द्वारा उनकी विदेशी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर 15 प्रतिशत पर कर की रिआयती दर से, विदेश से वर्धित निधियों की स्वदेश वापसी हुई है। मैं, विदेशी लाभांशों पर 15 प्रतिशत की इस रिआयती दर को बिना किसी समाप्ति तारीख के, जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे कराधान नीति का स्थायित्व सुनिश्चित होगा।

203. भारतीय कंपनियों के लिए कम लागत वाले दीर्घकालिक विदेशी उधारों को बढ़ाने के लिए, मैं, ब्याज अदायगियों पर 5 प्रतिशत की रिआयती कर दर के लिए विदेशी मुद्रा में उधार की पात्रता तारीख को 30.06.2016 से 31.06.2017 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, केवल अवसंरचना बांडों के बजाय, सभी प्रकार के बांडों को यह कर-प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव भी करता हूँ। मुझे आशा है कि इस उपाय से कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा पाएंगी।

204. अंतरण मूल्य-निर्धारण मामलों में मुकदेबाजी को कम करने के लिए, मैं, अंतरण मूल्य-निर्धारण विनियमनों में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

- (i) एक अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार (ए.पी.ए) योजना वर्ष 2012 में आरंभ की गयी थी। इसकी काफी सराहना की गयी। मैं, ए.पी.ए. आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए ए.पी.ए. प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, इस ए.पी.ए. योजना में एक "वापसी" प्रावधान शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूँ ताकि भावी लेनदेनों के लिए निष्पादित ए.पी.ए., निर्दिष्ट परिस्थितियों में पिछले चार वर्षों में किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए लागू किया जा सकेगा।
- (ii) भारत में मूल्य-निर्धारण विनियमों को सर्वोत्तम उपलब्ध प्रक्रियाओं के संगत बनाने के लिए, मेरा, आसन्निकट मूल्य के अवधारण की रेज कंसैप्ट शुरू करने का विचार है। तथापि, जहां तुलनीय संख्या अपर्याप्त है, वहां गणितीय माध्य धारणा लागू की जाती रहेगी। संगत आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और उपयुक्त नियम विहित किए जाएंगे।
- (iii) अंतरण मूल्य-निर्धारण विनियमनों के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, तुलनीय आंकड़ों के लिए, कुछ अपवादों को छोड़कर, केवल एक वर्ष के आंकड़ों का उपयोग किए जाने की अनुमति है। मैं, कई वर्षों के आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए इन विनियमनों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक विधायी संशोधन संसद के वर्तमान सत्र में पेश किए जाएंगे। इनके अंतर्गत वे प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं जो एडवांस रूलिंग और आयकर समाधान आयोग से संबंधित हैं।

205. इक्विटी-परक निधियों को छोड़कर, म्यूचअल फंडस की स्थिति में, एक वर्ष से अधिक के लिए धारित यूनिटों के अंतरण के लिए उद्भूत पूंजी अभिलाभों पर 10 प्रतिशत की रिआयती दर पर कर लगता है, जबकि बैंकों में प्रत्येक निवेशों एवं अन्य ऋण लिखतों में कर उच्चतर दर पर लगता है। इससे कर अंतरपणन की गुंजाइश हो जाती है। इसका अंतरपणन से मुश्किल से ही खुदरा निवेशकों को फायदा हुआ है क्योंकि उनका प्रतिशत ऐसे म्यूचअल फंड निवेशों में बहुत कम है। इस कर अंतरपणन को दूर करने की दृष्टि से, मैं, ऐसी निधियों की यूनिटों के अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रयोजन के लिए ऐसी यूनिटों के संबंध में धारण अवधि 12 माह से बढ़ाकर 36 माह कर दी जाए।

206. वर्ष 2003 में, लाभांशों के जरिए आय पर कर देयता, शेयर-धारक से कंपनी को अंतरित किया गया था। शेयर-धारक को सकल लाभांशों पर कर अदा करना था, परंतु अब कंपनी करों की निवल राशि घटाकर, लाभांश की राशि पर कर संदाय करती है। इसी प्रकार, म्यूचअल फंड की दशा में, आय वितरण कर, करों को घटाकर संवितरित आय पर संदाय किया जाता है। मैं, कंपनी और म्यूचअल फंड के मामले में दोनों की इस विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव करता हूँ।

207. इस समय, जहां निर्धारित निवासियों को निर्दिष्ट संदायों पर कर की कटौती करवाने तथा कर संदाय करने में विफल हो जाता है, वहां उसकी आय संगणित करते समय, शत-प्रतिशत ऐसे भुगतानों की कटौती के रूप में अनुमति नहीं है। इससे करदाताओं को, विशेषकर जहां कर की दर केवल 1 से 10% हो, अनुचित कठिनाई होती है। इसलिए, मैं, यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि 100 प्रतिशत के बजाए, ऐसे संदायों के केवल 30% को अनुमति दी जाएगी।

208. प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010, 15वीं लोक सभा के विघटन होने से, व्यपगत हो गया है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट तथा स्टेकहोल्डरों द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर विचार करके मेरे पूर्वाधिकारी ने यह संशोधित संहिता मार्च, 2014 में सार्वजनिक कर दी थी। सरकार, इस संशोधित संहिता पर स्टेकहोल्डरों से प्राप्त विचारों पर विचार करेगी। सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता के वर्तमान स्वरूप का पुनर्विलोकण करेगी तथा संपूर्ण मामले पर ध्यान देगी।

209. आशा है कि आयकर विभाग न केवल प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, बल्कि सुकरकर्ता के रूप में भी कार्य करेगा। देश के अनेक भागों में अनेक आयकर सेवा केंद्र खोले गए हैं। मैं, सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 60 और ऐसे सेवा केंद्र खोलकर यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

210. कर प्रशासन का मुख्य ध्यान कर आधार को व्यापक करना होता है। हमारी नीति में जोर इस बात पर दिया गया है कि यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गैर-अंतर्वेधी तरीके अपनाए जाएं। इस संबंध में, मैं, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का अधिक प्रयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ।

211. इन प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से कुल 22,200 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

अप्रत्यक्ष कर

212. अब, मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूँ और सीमा-शुल्क से आरंभ करता हूँ।

213. विनिर्माण क्षेत्र, अनेक कारणों से दबाव में रहा है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा असंगत (इनवर्टिड) शुल्कों के मामले को सुलझाने के लिए, मैं निम्नलिखित पर बुनियादी सीमा-शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूँ :

- साबुनों एवं ओलेवो-रसायनों के विनिर्माण के लिए फैटी एसिडों, कूड पाम स्टियरिन, आरबीडी एवं अन्य पाम स्टियरिन, निर्दिष्ट औद्योगिक ग्रेड कूड ऑइल पर 7.5 प्रतिशत से शून्य;
- कूड ग्लिसरिन पर 12.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत और साबूनों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले ग्लिसरिन पर 12.5 प्रतिशत से शून्य;
- स्टील ग्रेड लाइमस्टॉन और स्टील ग्रेड डोलोमाइट पर 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत;
- बैटरी वेस्ट और बैटरी स्क्रैप पर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;
- कोयला तार पिच पर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत; और
- स्पानडेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट निविष्टियों पर 5 प्रतिशत से शून्य।

214. रसायन एवं पेट्रोरसायन सेक्टर में नए निवेश एवं क्षमता अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, रिफोरमेट पर बुनियादी सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत; इथेन, प्रोपेन, इथाइलेन, प्रापीलेन, बुटाडीन और आर्थो-जाइलेन पर 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत; मिथाइल अल्कोहल एवं डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर 7.5 से 5 प्रतिशत; तथा कूड नाफ्थालेन पर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत।

215. इलेक्ट्रॉनिक की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने एवं आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, मैं, निम्नलिखित उपाय करना चाहता हूँ:

- सूचना प्रौद्योगिकी करार के क्षेत्राधिकार से बाहर के विनिर्दिष्ट दूरसंचार उत्पादों पर 10 प्रतिशत की दर पर बुनियादी सीमा-शुल्क अधिरोपित करना;
- व्यक्तिगत कम्प्यूटरों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सभी निविष्टियों/पुर्जों को 4 प्रतिशत के विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क से मुक्त करना;
- देश में उत्पादित वस्तुओं एवं आयातित वस्तुओं के बीच समता लाने के लिए आयातित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शिक्षा उपकर लगाना; और
- स्मार्ट कार्डों के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा वाले पीवीसी शीट एवं रिबन पर लगने वाला 4 प्रतिशत विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क हटाना।

216. कैथोड रे टी.वी. कमजोर वर्गों के व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ज्यादा महंगे फ्लैट टी.वी. नहीं खरीद सकते हैं। मैं, कैथोड रे टी.वी. को सस्ता करने के लिए कलर पिक्चर ट्यूबों को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। शुल्क रियायत देने से सूक्ष्म और लघु उद्योग सेक्टर में टी.वी. के विनिर्माण को फिर से बढ़ाने और रोजगार अवसरों के सृजन में मदद मिलेगी। साथ ही, भारत में 19 इंच से कम के एलसीडी एवं एलईडी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, 19 इंच से कम के एलसीडी और एलईडी टी.वी. पैन्लों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 10 प्रतिशत से शून्य करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, एलसीडी और एलईडी टी.वी. पैन्लों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, इनके विनिर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले विनिर्दिष्ट पुर्जों को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

217. घरेलू स्टेनलैस स्टील उद्योग, इस समय, क्षमता के गंभीर कम-उपयोग से जूझ रहा है। मैं, स्टेनलैस स्टील उद्योग को गति प्रदान करने के लिए, स्टेनलैस स्टील के आयातित फ्लैट-रोल्ड उत्पादों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

218. हमें सौर ऊर्जा के अपने उपयोग को अधिक से अधिक करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। विद्यमान शुल्क प्रणाली में, सौर फोटोवोल्टिक सेल्स और माड्युलस के घरेलू विनिर्माण के बजाए आयातों को प्राथमिकता देने का उल्लेख है। इसलिए, मैं, निम्नलिखित को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- ईवीए शीटों एवं बैक शीटों के विनिर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली निर्दिष्ट निविष्टियां; और
- पीवी रिबनों के विनिर्माण के लिए फ्लैट कॉपर वायर।

सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर को, 5 प्रतिशत की रियायती बुनियादी ड्यूटी भी दी जा रही है।

219. पवन चालित बिजली जनरेटरों के बियरिंगों के विनिर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्ज्ड स्टील रिंगों पर, मैं, बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, मैं, पवन चालित जनरेटरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों एवं कच्चे माल पर लगने वाले 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क को भी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, मैं, कंप्रेस्ड बाओ गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर पर 5 प्रतिशत की रियायती बुनियादी सीमा-शुल्क नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

220. मैंने, बजट 2014-15 में कुछ ही प्रस्तावों पर प्रकाश डाला है कि इन उपायों से भारत में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, आय और अधिक नौकरियां सृजित होंगी।

221. मैंने करो को युक्तिसंगत करने संबंधी कई उपाय भी शुरू किए हैं। वर्तमान में, कोयले पर विभिन्न दरों पर सीमा-शुल्क लगते हैं। मैं, सभी नॉन-अग्लोमिरेटिड कायले पर 2.5 प्रतिशत

का बुनियादी सीमा-शुल्क और 2 प्रतिशत की सीवीडी लगाकर इस शुल्क प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। अब से, अंग्रेसाइट कोयले, बिटुमिनस कोयले, कोकिंग कोयले, स्टीम कोयले एवं अन्य कोयले पर वही शुल्क लगेगा। इससे कोयले के विभिन्न पैरामीटरों के परीक्षण से संबद्ध सभी निर्धारण विवाद और लेनदेन लागत समाप्त हो जाएगी।

222. धातु-कर्म कोक, कोकिंग कोयले से बनाया जाता है। धातुकर्म कोक पर बुनियादी सीमा-शुल्क, कोकिंग कोयले पर लगने वाले शुल्क की तर्ज पर, शून्य से 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।

223. तोड़ने के लिए आयातित पोतों पर 5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगता है। इसके विपरीत, लौह या स्टील के मेल्टिंग स्क्रेप पर 2.5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगता है। मैं, पोत टूटन स्क्रेप और लौह या स्टील के मेल्टिंग स्क्रेप, तोड़ने के लिए आयातित पोतों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करके, इस शुल्क को तर्कसंगत करने का प्रस्ताव करता हूं।

224. अर्ध-प्रसंस्कृत, आधे कटे या टूटे हीरों पर, इस समय, बुनियादी सीमा-शुल्क नहीं लगता है। इसके मुकाबले, कटे और पॉलिश किए हुए हीरों एवं कलर किए गए रत्नों पर 2 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगता है। दुरुपयोग रोकने एवं निर्धारण विवादों से बचने के लिए, अर्धप्रसंस्कृत, आधे कटे या टूटे हीरों, कटे एवं पॉलिश किए हुए हीरों और कलर रत्नों पर बुनियादी सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत पर युक्तिसंगत किया जा रहा है। निर्यात बढ़ाने, कीमती एवं कम कीमती रत्नों को बुनियादी सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट दी जा रही है।

225. बने बनाए वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, सजावट वाली वस्तुओं, सजने-संवरने वाली वस्तुओं एवं अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात के लिए शुल्क-मुक्त पात्रता उनके निर्यातों के मूल्य के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

226. अपने प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए, मैं, बॉक्साइट पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

227. यात्री-सामान नियमों के अंतर्गत निःशुल्क यात्री सामान भत्ता, पिछली बार, 2012 में संशोधित किया गया था। यात्री सुविधा के उपाय के तौर पर, मैं, निःशुल्क यात्री-सामान भत्ता 35,000 रुपए से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

228. मैं, अब केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के बारे में बताना चाहूंगा।

229. पूंजीगत सामान और आटोमाबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तथा आर्थिक वृद्धि के पुनःरुत्थान की अपनी वचनबद्धता को देखते हुए, मैंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिआयतों को 30 जून, 2014 से 6 माह की अवधि के लिए 31 दिसंबर, 2014 तक पहले ही बढ़ा दिया है। हमें उम्मीद है कि इस उद्योग में आने वाले महीनों में सकारात्मक परिवर्तन दिखायी देंगे।

230. इस क्रम में, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई और फसल-कटाई के पश्चात होने वाली कृषि उपज संबंधी हानियों को न्यूनतम किया जाना, खाद्य स्फीति से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। फलों एवं सब्जियों में हानियां, मुख्यतया, पर्याप्त प्रसंस्करण क्षमता की कमी के चलते होती हैं। प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं विनिर्दिष्ट खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग मशीनरी पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

231. फुटवियर उद्योग, जिसके अधिकतर एसएमई सेक्टर में आते हैं, को राहत देने के उपाय के तौर पर, मैं, 500 रुपए से अधिक परंतु 1,000 रुपए से कम कीमत की प्रति जोड़ी फुट-वियर पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रति जोड़ी 500 रुपए तक खुदरा कीमत वाली फुटवियर को छूट मिलती रहेगी।

232. मैं, स्मार्ट कार्डों पर लगने वाले रिआयती केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सेनवेट प्रसुविधा के बिना 2 प्रतिशत और सेनवेट प्रसुविधा के साथ 6 प्रतिशत) को वापस लेने तथा 12 प्रतिशत की दर पर एक समान केंद्रीय उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे घरेलू उद्योग को मदद मिलेगी।

233. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए, मैं, निम्नलिखित को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं:

- ईवीए शीटों एवं सोलर बैक शीटों तथा उनके विनिर्माण में प्रयोग होने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुएं;
- सोलर फोटोवॉलटैटैक सेलों एवं मॉड्यूलों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सोलर टैंपर्ड ग्लास;
- सोलर सेलों और मॉड्यूलों में प्रयोग के लिए पीवी रिबनों के विनिर्माण के लिए फ्लैट कॉपर वायर;
- सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए परियोजना की स्थापना करने हेतु अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर;
- पवन चालित जनरेटरों की बियरिंगों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली फोर्ज्ड स्टील रिग; और
- कंप्रेस्ड बायागैस (बायो-सीएनजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर।

234. चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए, मैं, पीईटी बोटलों सहित प्लास्टिक वेस्ट एवं स्क्रेप से विनिर्मित पीएसएफ और पीएफवाई को 29 जून, 2010 से 7 मई, 2012 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं, ऐसे पीएसएफ और पीएफवाई पर बिना सेनवेट सुविधा वाले के लिए 2 प्रतिशत तथा सेनवेट सुविधा वाले के लिए 6 प्रतिशत का नाममात्र शुल्क भावी तारीख से लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

235. खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, बिना सेनवेट सुविधा वाले स्पोर्ट दस्तानों पर 2 प्रतिशत तथा सेनवेट सुविधा वाले स्पोर्ट दस्तानों पर 6 प्रतिशत का रियायती केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

236. इन उपायों को करते समय, मुझे संसाधनों की आवश्यकता भी है। तदनुसार, मैं, सिगरेटों पर विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार की वृद्धियां सिगारों, चुरटों एवं छोटे सिगारों पर करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पान मसाले पर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत, निर्मित तंबाकू पर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत तथा गुटखा एवं चबाने वाले तंबाकू पर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जा रहा है। मैं, वर्धित शर्करा वाले वातित पानी पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। ये अच्छे उपाय हैं और मुझे आशा है कि हरेक कोई मानवीय और राजकोषीय दृष्टिकोण से इनका स्वागत करेगा।

237. स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन तथा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए, कोयला, पीट और लिग्नाइट पर, इस समय, स्वच्छ ऊर्जा उपकरण लगाया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम के वित्तपोषण एवं संवर्धन और शोध को शार्मिक करने के लिए, मैं, उक्त उपकरण के लगाने के प्रयोजन के व्याप्ति क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इन अतिरिक्त कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए, मैं, स्वच्छ ऊर्जा उपकरण को 50 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

238. मैं, अब सेवा कर के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा।

239. हालिया समय में, अप्रत्यक्ष करों में, सेवा कर ने उच्चतम वृद्धि दर दर्शित की है। चूंकि मेरा समग्र उद्देश्य, वस्तु एवं सेवाकर को सुचारु रूप से अंगीकृत करने के लिए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को तैयार करना है, इसलिए इस अवस्था पर कम से कम बदलाव किए गए हैं। इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष करों का दोहरे उद्देश्य कर आधार को विस्तार देना एवं कर अनुपालन बढ़ाना है। सेवा कर के संबंध में मेरे प्रस्ताव, इन उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

240. सेवा क्षेत्र में कर आधार को व्यापक करने के लिए, यह आवश्यक है कि नकारात्मक सूची एवं छूटों को संभव सीमा तक कम किया जाए। तदनुसार, नकारात्मक सूची की समीक्षा की गयी है तथा प्रसारण मीडिया में स्थान के विक्रय या विज्ञापनों के लिए समय पर, इस समय, अधिरोप्य सेवा कर का विस्तार किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन जैसे अन्य घटकों पर ऐसे विक्रयों को शामिल किया जा सके। तथापि, प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के लिए स्थान की बिक्री सेवा कर से बाहर ही रहेगी। इसी प्रकार, रेडियों टेक्सियों द्वारा दी गई सेवा पर कर का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि उन्हें रेंट-ए-कैब सेवा के समतुल्य रखा जा सके। ये नए उद्ग्रहण, वित्त विधेयक के पारित किए जाने के बाद, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

241. कर आधार को व्यापक बनाने के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ छूटों को वापस लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वे भी शामिल हैं जो वातानुकूलित संविदा कैरिजों तथा मानव भागीदारों पर नयी विकसित औषधियों के तकनीकी परीक्षण द्वारा दी जा रही सेवाओं तक विस्तारित है।

242. कुछ क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, मैंने अपनी जानकारी में लायी गयी कुछ बाधाओं को ठीक करने का प्रयास किया है। भारतीय नौवहन उद्योग यह उल्लिखित करता रहा है कि सेवा उपबंध नियमों में एक प्रावधान के चलते उसे कठिन वैश्विक परिदृश्य में कारबार में घाटा हो रहा है। इसे, अब एक संशोधन के जरिए दूर किया जा रहा है। इसी प्रकार, तटीय जलयानों के माध्यम से माल की ढुलाई में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, कर अपवंचन घटनाएं कम हो रही है। पर्यटन सेक्टर के अनुरोध की अनुक्रिया में, भारत से बाहर पूर्णतया संचालित किए जाने वाले दौरा (टूर) के संबंध में विदेशी पर्यटकों को भारतीय टूर आपरेटरों द्वारा दी जा रही सेवाओं को कर नेट से बाहर किया जा रहा है। इस सेक्टर की एक दीर्घ-कालिक मांग यह रही है कि रेंट-ए-कैब और टूर आपरेटरों की सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट की सुविधा की अनुमति दी जाए। मैं, अब कारबार की उसी तर्ज के अनुसार क्रेडिट देने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

243. मुझे, छूटों के संबंध में सामाजिक सेक्टर से प्राप्त कुछ अनुरोधों को मानना पड़ा, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में छूट-जनित गडबड़ियां तुलनात्मक दृष्टि से कम होंगी। कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर, लदाई, उत्तराई, भंडारण, भांडागारण और कपास, भले ही कपास विनोले निकाली हुई है या बधी हुई गांठों में है, की ढुलाई पर सेवा कर की छूट दी जा रही है ताकि इसे कुछ अन्य कृषि उपज के समतुल्य लाया जा सके। 01 जुलाई, 2012 से पहले की अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सेवा को छूट मिली हुई है।

244. आम आदमी के फायदे के लिए, निर्दिष्ट माइक्रो बीमा योजनाओं के लिए, इस समय, उपलब्ध छूट बढ़ाई जा रही है ताकि उन सभी बीमा माइक्रो योजनाओं को इसके अंतर्गत लाया जा सके जहां राशि प्रति बीमित जीवन पालिसी 50,000 रुपए से अधिक न हो। चूंकि चिकित्सीय और नैदानिक कचरे के सुरक्षित निपटान के मार्ग में करों को नहीं ना चाहिए, इसलिए सामान्य बायो-मेडिकल कचरा-शोधन सुविधाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं को छूट दी जा रही है।

245. छूटों के दायरे के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने और मुकदमेबाजी मामलों को कम करने के लिए, कुछ संशोधनों का प्रस्ताव भी है। इसमें किसी नगरपालिका को, सामान्यतया, साँपे गए कृत्य और शिक्षा के क्षेत्र में दी जा रही सेवाएं सम्मिलित हैं।

246. कुछ और निर्णय हैं जिनमें राजस्व की छोटी-मोटी लाभ-हानियां सम्मिलित हैं। सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियमों में, और सेवा कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 में कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। इन बदलावों को बजट दस्तावेजों में परिलक्षित किया जाता है।

247. अप्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे कर प्रस्तावों से 7,525 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है।

248. मेरे पास कुछ और ऐसे प्रस्ताव हैं जो व्यापार को सुकर बनाने और विवाद सुलझाने के स्वरूप के हैं। मैं, केवल कुछेक का ही उल्लेख करूंगा।

249. आयात और निर्यात कार्गो की त्वरित निकासी से परिवहन लागत कम हो जाती है और कारबार प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद के लिए, विद्यमान 24x7 सीमा-शुल्क समाशोधन सुविधा को, सभी निर्यात-वस्तुओं के संबंध में 13 और हवाई अड्डों के लिए तथा निर्दिष्ट आयात-निर्यात माल के संबंध में 14 और बंदरगाहों के लिए, देने के उफाय शुरू किए गए हैं।

250. व्यापार को सुकर बनाने के लिए "भारतीय कस्टम सिंगल विंडो प्रोजेक्ट" कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत, आयातक और निर्यातक अपने निकासी दस्तावेजों को केवल एकल केंद्र पर दर्ज कराएंगे। यदि किसी अन्य विनियामक एजेंसियों से कोई अनुमति लेनी अपेक्षित हुई तो उसे ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा तथा व्यापारी को इन एजेंसियों से सम्पर्क करने की आश्यकता नहीं होगी। सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क करके, कारबार करने में लगने वाले समय एवं लागत कम हो जाएगी।

251. अप्रत्यक्ष करों में अग्रिम नियम योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि निवासी निजी लिमिटेड कम्पनियों को इसके अंतर्गत लाया जा सके। इन कम्पनियों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित किए जा रहे नए कार्यों के संबंध में एडवांस रूलिंग का अनुरोध करने की अनुमति होगी। तीव्र विवाद समाधान को सुकर बनाने के लिए समाधान आयोग के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

252. अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि अपीलीय प्राधिकारियों को स्टे अर्जियों पर सुनवाई से मुक्त रखा जा सके तथा अंतिम निपटान के लिए नियमित अपीलों पर कार्रवाई की जा सके।

253. अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं यह बजट सदन को सौंपता हूं।